अध्याय VII: व्यय क्षेत्र की अनुपालन लेखापरीक्षा

सरकारी विभागों एवं उनके अधीनस्थ कार्यालयों तथा स्वायत्तशासी निकायों के लेन-देन की लेखापरीक्षा में संसाधनों के प्रबंधन में चूक तथा नियमितता, औचित्यता एवं मितव्ययता के मानकों के अनुपालन में विफलता के मामले उजागर हुए, जिनको अनुवर्ती अनुच्छेदों में प्रस्तुत किया गया है ।

कार्मिक विभाग

7.1 राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा फ्रिस्किंग सेवाओं के उपापन में अनियमितताएँ

सितंबर एवं अक्टूबर 2021 के बीच, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने कृषि पर्यवेक्षक और पटवार परीक्षाओं के लिए फ्रिस्किंग सेवाओं के दो ठेके एक ही फर्म, इनोवेटिव्यू को दिए। लेखापरीक्षा में दोनों उपापन प्रक्रियाओं में अनेक अनियमितताएँ पाई गईं, जिनमें मिलीभगत से की गई बोली, अयोग्य पात्रता और प्रक्रियात्मक कमियां शामिल थीं। यह बोर्ड की उपापन प्रक्रियाओं में प्रणालीगत कमियों की ओर संकेत करता है।

राजस्थान सरकार ने राज्य में विभिन्न अधीनस्थ सेवाओं के लिए उम्मीदवारों की भर्ती हेतु वर्ष 2014 में राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड[1] (बोर्ड) की स्थापना की थी। बोर्ड परीक्षाओं का निष्पक्ष आयोजन करने और अनुचित गतिविधियों को रोकने के लिए उत्तरदायी है। परीक्षाओं के सुचारू आयोजन के लिए बोर्ड, महत्वपूर्ण सेवाओं जैसे उम्मीदवारों की फ्रिस्किंग, बायोमेट्रिक उपस्थिति, पर्यवेक्षण, सुरक्षा और सीसीटीवी निगरानी को बाहरी एजेंसियों को निविदा प्रक्रिया के माध्यम से आउटसोर्स करता है, जो राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 के अधीन होती है ।

जनवरी 2024 में लेखापरीक्षा की गई, जिसमें सितंबर से अक्टूबर 2021 के बीच एक निजी फर्म को आउटसोर्स की गई फ्रिस्किंग सेवाओं के दो प्रकरणों को शामिल किया गया। लेखापरीक्षा के दौरान कई अनियमितताएँ और कमियाँ पाई गई, जिन्होनें उपापन प्रक्रिया की निष्पक्षता को प्रभावित किया। बोर्ड निविदा मूल्यांकन के दौरान यथोचित सतर्कता बरतने में विफल रहा और निविदाकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की समुचित जांच करने में लापरवाही बरती गई ।

निम्नलिखित दो भागों में इन मामलों का विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया गया है

1 राजस्थान अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक सेवाएं चयन बोर्ड का नाम 12 जून 2018 से बदलकर राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड कर दिया गया।

भाग अः कनिष्ठ अभियंता (सिविल) और कृषि पर्यवेक्षक परीक्षाओं के लिए फ्रिस्किंग सेवाओं का उपापन–सितंबर 2021

बोर्ड ने कनिष्ठ अभियंता (सिविल) और कृषि पर्यवेक्षक पदों के लिए सीधी भर्ती परीक्षाएं क्रमशः 12 सितंबर 2021 और 18 सितंबर 2021 को आयोजित करने की योजना बनाई थी। इन परीक्षाओं के लिए, बोर्ड ने फ्रिस्किंग सेवाओं की लागत, ₹ 15 प्रति उम्मीदवार के हिसाब से गणना कर, ₹ 32 लाख अनुमानित की थी। वित्तीय स्वीकृति प्राप्त करने हेतु 25 अगस्त 2021 को राज्य सरकार को प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया, जो पहली परीक्षा से मात्र 17 दिन पूर्व था।

वित्तीय स्वीकृति लंबित होने के बावजूद, बोर्ड ने 27 अगस्त 2021 को फ्रिस्किंग सेवाओं के लिए ई-निविदाएं आमंत्रित की। निविदा प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 03 सितंबर 2021 तक तीन[2] निविदाएं प्राप्त हुईं। इनमें से एक निविदाकर्ता, एवीए सिस्टम्स, को तकनीकी मूल्यांकन (06 सितंबर 2021) के दौरान एनआईटी में निर्धारित पूर्व अनुभव की शर्तों को पूरा नहीं करने के कारण अयोग्य घोषित कर दिया गया।

शेष दो फर्मों की वित्तीय निविदाएं खोली गईं, जिसमें इनोवेटिव्यू ने ₹ 39.90 प्रति उम्मीदवार की दर से सबसे कम बोली लगाई, जिसे बाद में नेगोशिएशन (08 सितंबर 2021) में घटाकर ₹ 35.99 प्रति उम्मीदवार कर दिया गया। राज्य सरकार ने, निर्धारित कनिष्ठ अभियंता (सिविल) परीक्षा (12 सितंबर 2021) से मात्र दो दिन पूर्व 10 सितंबर 2021 को वित्तीय स्वीकृति प्रदान की। हालाँकि, इनोवेटिव्यू ने बोर्ड को 12 सितंबर को आयोजित की जाने वाली परीक्षा के लिए फ्रिस्किंग सेवाएं प्रदान करने में अपनी असमर्थता के बारे मे सूचित (08 सितंबर 2021) कर दिया था।

फलस्वरूप, बोर्ड ने 12 सितंबर 2021 को कनिष्ठ अभियंता (सिविल) परीक्षा बिना किसी फ्रिस्किंग व्यवस्था के आयोजित की।

इसके बाद, बोर्ड ने कृषि पर्यवेक्षक परीक्षा के लिए फ्रिस्किंग सेवाओं हेतु इनोवेटिव्यू को 13 सितंबर 2021 को कार्यादेश जारी किया, जो 18 सितंबर 2021 को आयोजित की जानी थी। यह सेवाएं 488 केंद्रों पर 1,67,502 उम्मीदवारों को कवर करने वाली थीं, जिसकी कुल लागत ₹ 60.28 लाख थी। केंद्रों से संतोषजनक रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद फर्म को ₹ 58.21 लाख का भुगतान किया गया।

बोर्ड द्वारा संधारित संबंधित दस्तावेजों की लेखापरीक्षा में निम्नलिखित तथ्य सामने आएः

(i) बोर्ड द्वारा जारी निविदा आमंत्रण सूचना में यह निर्धारित किया गया था कि पिछले पाँच वित्तीय वर्षों में से किसी भी तीन वर्षों में फर्मों का औसत वार्षिक टर्न-ओवर ₹ पाँच करोड़ होना चाहिए। यह शर्त कार्य की अनुमानित लागत ₹ 32 लाख की तुलना में अत्यधिक थी, जिससे टर्न-ओवर की न्यूनतम सीमा अनुमानित अनुबंध मूल्य का लगभग 15 गुना हो गई। इतना ऊँचा मानक अनुचित था और यह अत्यधिक प्रतिबंधात्मक शर्त थी जिसने प्रतिस्पर्धा को सीमित कर दिया था।

2 इनोवेटिव्यू, एवीए सिस्टम्स एवं रोमन नेटवर्क्स प्राइवेट लिमिटेड।

राज्य सरकार ने (नवंबर 2024) अवगत कराया कि राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम, 2013 टर्न-ओवर की न्यूनतम सीमा के लिए कोई निश्चित मानक निर्धारित नहीं करता। हालांकि, सरकार ने इस मुद्दे को स्वीकार किया और सूचित किया कि सक्षम और प्रतिष्ठित फर्मों की व्यापक भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए, बाद की निविदाओं में टर्न-ओवर की शर्त को अनुमानित अनुबंध मूल्य के दो गुना या उससे भी कम कर दिया गया।

(ii) राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम, 2013 का नियम 80, सत्यनिष्ठा संहिता को परिभाषित करता है, जिसके अनुसार निविदाकर्ताओं को मिलीभगत, बोली में हेरफेर या किसी भी प्रकार की प्रतिस्पर्धा-विरोधी गतिविधियों में संलिप्त होने से प्रतिबंधित किया गया है, जो उपापन प्रक्रिया की पारदर्शिता, निष्पक्षता और अखंडता को प्रभावित कर सकती हैं।

लेखापरीक्षा में यह पाया गया कि भाग लेने वाली दो फर्में-इनोवेटिव्यू और एवीए सिस्टम्स आपस में एक दूसरे से संबंधित थी। श्री अंकित अग्रवाल, इनोवेटिव्यू इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (तृतीय पक्षकार) के संस्थापक और निदेशक, ने प्रोपराइटर के रूप में इनोवेटिव्यू की ओर से निविदा प्रस्तुत की, जबकि श्री विशाल मित्तल, जो भी इनोवेटिव्यू इंडिया प्राइवेट लिमिटेड में निदेशक थे, ने प्रोपराइटर के रूप मे एवीए सिस्टम्स की ओर से निविदा प्रस्तुत की। निविदाकर्ताओं के बीच यह निकट संबंध प्रतिस्पर्धी निविदा प्रक्रिया की प्रामाणिकता और निष्पक्षता पर गंभीर प्रश्न उठाता है, जो आरटीपीपी नियमों और निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा के सिद्धांतों का संभावित उल्लंघन है।

इसके अतिरिक्त, लेखापरीक्षा में पाया कि इनोवेटिव्यू और रोमन नेटवर्क्स प्राइवेट लिमिटेड (दोनों तकनीकी रूप से योग्य निविदाकर्ता) द्वारा निविदा और प्रक्रिया शुल्क के लिए प्रस्तुत किए गए डिमांड ड्राफ्ट एक ही बैंक शाखा से, एक ही दिनांक को जारी किए गए थे और उनके क्रमांक भी लगातार थे। यह अत्यंत असामान्य है कि प्रतिस्पर्धी फर्में एक ही समय और स्थान से भुगतान साधन प्राप्त करें, और ड्राफ्ट के क्रमांक लगातार होना इस बात का संकेत देते हैं कि ये ड्राफ्ट संभवतः एक ही लेन-देन या समन्वित प्रयास के तहत प्राप्त किए गए थे।

ये लेखापरीक्षा निष्कर्ष इस ओर संकेत करते हैं कि निविदा प्रक्रिया को मिलीभगत के माध्यम से प्रभावित करने का प्रयास किया गया।

राज्य सरकार ने नवंबर 2024 में अपने प्रत्युत्तर में बताया कि प्रत्येक निविदाकर्ता ने सत्यनिष्ठा संहिता के पालन की अनिवार्य घोषणा प्रस्तुत की थी। सरकार ने यह भी अवगत कराया कि देखी गई समानताएं संयोगवश हो सकती हैं, संभवतः इसलिए कि फर्में एक ही क्षेत्र में स्थित थीं। आगे यह स्वीकार किया गया कि बोर्ड ने लेखापरीक्षा द्वारा उठाए गए मुद्दों की जांच नहीं की थी और यह पुष्टि की कि संबंधित निविदाकर्ताओं से स्पष्टीकरण मांगा गया है।

राज्य सरकार द्वारा दिया गया स्पष्टीकरण संतोषजनक नहीं है। वास्तव में, भाग लेने वाली फर्मों के पंजीकृत कार्यालय नई दिल्ली के पूरी तरह भिन्न क्षेत्रों में स्थित हैं – इनोवेटिव्यू का कार्यालय कड़कड़डूमा, पूर्वी दिल्ली में है; एवीए सिस्टम्स का कार्यालय नरैना औद्योगिक क्षेत्र, दक्षिण-पश्चिम दिल्ली में है; जबकि रोमन नेटवर्क्स प्राइवेट लिमिटेड, नेहरू प्लेस, दक्षिण दिल्ली से संचालित होती है।

एनआईटी में उल्लिखित न्यूनतम पात्रता मानदंड के अनुसार, भाग लेने वाली फर्मों को पिछले पाँच वर्षों में किसी एक परीक्षा शिफ्ट के दौरान हैंड हेल्ड मेटल डिटेक्टर का उपयोग करते हुए कम से कम 10,000 उम्मीदवारों की फ्रिस्किंग का अनुभव होना आवश्यक था। हालांकि, चयनित फर्म (इनोवेटिव्यू) द्वारा प्रस्तुत निविदा दस्तावेजों की विस्तृत लेखापरीक्षा में यह पाया गया कि वह इस शर्त को पूरा नहीं करती थी। फर्म द्वारा प्रस्तुत किए गए अनुभव का विवरण नीचे **तालिका 7.1** में प्रस्तुत किया गया है:

तालिका 7.1: इनोवेटिव्यू द्वारा प्रस्तुत किए गए पिछले अनुभव का विवरण

क्र.सं.	फर्म का नाम	परीक्षा की तिथि	परीक्षा का नाम	फ्रिस्किंग किए गए उम्मीदवारों की संख्या	लेखापरीक्षा आक्षेप
1.	इनोवेटिव्यू	05.05 2019	राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी द्वारा आयोजित व्यावसायिक प्रवेश और पात्रता परीक्षा	लगभग 15 लाख	कार्यादेश परीक्षा केंद्रों पर अभ्यर्थियों की केवल फ्रिस्किंग के लिए जारी किया गया था। कार्यादेश में हैंड हेल्ड मेटल डिटेक्टर के माध्यम से फ्रिस्किंग का उल्लेख नहीं किया गया था।
2.	इनोवेटिव्यू	15.04.2017	हरियाणा लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित डेंटल सर्जन क्लास II परीक्षा	एक दिन एक पारी में	कार्यादेश में उम्मीदवारों की संख्या का उल्लेख नहीं किया गया था।
3.	इनोवेटिव्यू इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	16.08.2019 से 22.08.2019	हरियाणा लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित एचएससी और अन्य संबद्ध सेवा परीक्षा	10,019 (सात दिन; पारियों की संख्या का उल्लेख नहीं था)	फर्म (इनोवेटिव्यू) ने एक अन्य फर्म (इनोवेटिव्यू इंडिया प्राइवेट लिमिटेड) का पिछला अनुभव प्रस्तुत किया, जिसे वास्तव में कार्यादेश जारी किया गया था।
4.	इनोवेटिव्यू इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	03.10.2019 और 04.10.2019	कॉलेजों में विभिन्न पदों हेतु हरियाणा लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित	12,696 (दो दिन एक-एक पारी में)	फर्म (इनोवेटिव्यू) ने एक अन्य फर्म (इनोवेटिव्यू इंडिया प्राइवेट लिमिटेड) का पिछला अनुभव प्रस्तुत किया, जिसे वास्तव में कार्यादेश जारी किया गया था।
5.	इनोवेटिव्यू इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	27.01.2020	विभिन्न पदों हेतु हरियाणा लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित	15,778 (एक दिन में दो पारी)	फर्म (इनोवेटिव्यू) ने एक अन्य फर्म (इनोवेटिव्यू इंडिया प्राइवेट लिमिटेड) का पिछला अनुभव प्रस्तुत किया, जिसे वास्तव में कार्यादेश जारी किया गया था।
6.	इनोवेटिव्यू	20.08.2021	उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित प्रारंभिक पात्रता परीक्षा	एक दिन में दो पारी	कार्यादेश परीक्षा केंद्रों पर अभ्यर्थियों की केवल फ्रिस्किंग के लिए जारी किया गया था। कार्यादेश में हेंड हेल्ड मेटल डिटेक्टर के माध्यम से फ्रिस्किंग का उल्लेख नहीं किया गया था।

जैसा कि **तालिका 7.1** से स्पष्ट है, उल्लिखित छह मामलों में से तीन मामलों (क्रमांक 1, 2 और 6) में कार्यादेशों में या तो फ्रिस्किंग किये गए उम्मीदवारों की संख्या का उल्लेख नहीं था या फिर हैंड हेल्ड मेटल डिटेक्टर के उपयोग की पुष्टि नहीं की गई थी। शेष तीन मामलों (क्रमांक 3, 4 और 5) में इनोवेटिव्यू ने जो पूर्व अनुभव प्रस्तुत किया, वह एक अलग कानूनी इकाई (इनोवेटिव्यू इंडिया प्राइवेट लिमिटेड) से संबंधित था। यह निविदा मूल्यांकन प्रक्रिया में गंभीर चूक और पात्रता मानदंडों को लागू करने में बोर्ड की विफलता को दर्शाता है।

बोर्ड ने मई 2024 में स्वीकार किया कि समय की कमी के कारण वह इनोवेटिव्यू द्वारा प्रस्तुत पूर्व कार्यादेशों और अनुभव दस्तावेजों की प्रामाणिकता की पुष्टि नहीं कर सका। इसके बाद, नवंबर 2024 में प्रस्तुत अपने प्रत्युत्तर में राज्य सरकार ने लेखापरीक्षा को दस्तावेज उपलब्ध कराए, जिनसे यह स्पष्ट हुआ कि बोर्ड ने 23 सितंबर 2024 को इनोवेटिव्यू से स्पष्टीकरण मांगा था। इसके उत्तर में इनोवेटिव्यू ने 15 नवंबर 2018 को किया गया एक गठबंधन करार प्रस्तुत किया, जो इनोवेटिव्यू (एक एकल स्वामित्व वाली इकाई) और इनोवेटिव्यू इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के बीच संपन्न हुआ था, जिसमें दोनों इकाइयों द्वारा परीक्षा सुरक्षा सेवाओं से संबंधित विभिन्न कार्यों, अनुबंधों और निविदाओं में सहयोग करने की सहमति व्यक्त की गई थी।

यह स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि यह गठबंधन करार कनिष्ठ अभियंता (सिविल) और कृषि पर्यवेक्षक पदों के लिए सीधी भर्ती परीक्षाओं हेतु निविदाओं के तकनीकी मूल्यांकन के समय बोर्ड के पास उपलब्ध नहीं था।

इस प्रकार, यह बोर्ड के स्तर पर एक महत्वपूर्ण चूक थी, जिससे वह योग्यता दस्तावेजों की जांच और मूल्यांकन में आवश्यक सतर्कता बरतने में विफल रहा। परिणामस्वरूप, इनोवेटिव्यू को इनोवेटिव्यू इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के कार्य अनुभव के आधार पर गलत तरीके से तकनीकी रूप से योग्य घोषित कर दिया गया।

जैसा कि पूर्ववर्ती अनुच्छेदों में विस्तार से बताया गया है, बोर्ड ने अनुबंध-पूर्व चरण में अत्यंत संकुचित समयसीमा अपनाई, जिसमें राज्य सरकार को प्रस्ताव प्रस्तुत करना, निविदाएं आमंत्रित करना, निविदाओं का मूल्यांकन, मूल्य वार्ता और कार्यादेश जारी करना शामिल था। ये संकुचित समयसीमाएं न केवल असंगत थीं, बल्कि इनके गंभीर प्रतिकूल प्रभाव भी पड़े। इन कार्यवाहियों ने पारदर्शिता को कमजोर किया, प्रतिस्पर्धा को सीमित किया और संपूर्ण उपापन प्रक्रिया की निष्पक्षता को प्रभावित किया।

भाग ब: पटवार परीक्षा के लिए फ्रिस्किंग सेवाओं का उपापन-अक्टूबर 2021

बोर्ड ने पटवारी पद के लिए सीधी भर्ती परीक्षा 23 और 24 अक्टूबर 2021 को आयोजित करने का कार्यक्रम तय किया था। जबकि परीक्षा की अधिसूचना 17 जनवरी 2020 को जारी की गई थी, निविदा आमंत्रण सूचना (एनआईटी) 08 अक्टूबर 2021 को प्रकाशित की गई, जो कि अधिसूचना जारी किए जाने के 20 महीने बाद थी। उन्हीं तीनों फर्मों-इनोवेटिव्यू, एवीए सिस्टम्स और रोमन नेटवर्क्स प्राइवेट लिमिटेड ने निविदाएं प्रस्तुत कीं। तकनीकी मूल्यांकन के बाद, एवीए सिस्टम्स को आवश्यक पूर्व अनुभव की शर्तें पूरी न करने के कारण अयोग्य घोषित कर दिया गया।

शेष दो फर्मों में से इनोवेटिव्यू ने ₹ 38 प्रति उम्मीदवार की दर से सबसे कम बोली लगाई, जिसे बाद में नेगोशिएशन के माध्यम से ₹ 35 प्रति उम्मीदवार पर तय किया गया। तदनुसार, इनोवेटिव्यू को 4,674 परीक्षा केंद्रों पर 15,63,000 उम्मीदवारों हेतु फ्रिस्किंग सेवाएं प्रदान किए जाने हेतु, 18 अक्टूबर 2021 को कार्यादेश जारी किया गया, जिसकी कुल अनुबंध राशि ₹ 5.47 करोड़ थी। केंद्रों से संतोषजनक रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद फर्म को ₹ 5.40 करोड़ का भुगतान किया गया।

दस्तावेजों की जांच में निम्नलिखित कमियाँ उजागर हुईं:

(i) भाग लेने वाली फर्मों को निविदा प्रस्तुत करने के लिए केवल आठ दिन का समय दिया गया, जबकि राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम, 2013 के नियम 43 के अनुसार न्यूनतम 20 दिन का समय दिया जाना चाहिए था। राज्य सरकार ने अपने प्रत्युत्तर (नवंबर 2024) में अवगत कराया कि परीक्षा से पूर्व समय सीमित होने के कारण केवल आठ दिन का समय दिया गया।

हालांकि, यह प्रत्युत्तर मान्य नहीं है, क्योंकि परीक्षा की अधिसूचना और एनआईटी के प्रकाशन के बीच 20 महीने का लंबा अंतराल था। यदि एनआईटी पहले जारी की जाती, तो बोर्ड के पास परीक्षा से संबंधित सभी सेवाओं के लिए प्रभावी योजना बनाने और पारदर्शी उपापन प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त समय होता।

(ii) इंटरनेट प्रोटोकॉल (आईपी) एड्रेस एक विशिष्ट संख्या होती है जो इंटरनेट से जुड़े प्रत्येक उपकरण को दी जाती है, जिससे वे एक-दूसरे से संचार कर सकते हैं। लेखापरीक्षा में पाया गया कि इनोवेटिव्यू और एवीए सिस्टम्स ने एक ही आईपी एड्रेस (14.99.59.158) से निविदाएं प्रस्तुत की थी। नई दिल्ली में अलग-अलग पते पर पंजीकृत दो संस्थाओं द्वारा एक ही आईपी एड्रेस से निविदा प्रस्तुत करना इस बात का स्पष्ट संकेत है कि ये दोनों संस्थाएं स्वतंत्र रूप से कार्य नहीं कर रही थीं, बल्कि संभवतः निविदा प्रक्रिया को प्रभावित करने के लिए समन्वित प्रयास कर रही थीं। साथ ही, जैसा कि भाग 'अ' के अनुच्छेद (ii) में उल्लेख किया गया है, इनोवेटिव्यू और एवीए सिस्टम्स आपस में संबंधित पक्ष हैं, जिससे मिलीभगत की संभावना और भी प्रबल होती है और निविदा प्रक्रिया की निष्पक्षता व अखंडता पर गंभीर प्रश्न उठते हैं। यह बोर्ड की एक बड़ी चूक को भी दर्शाता है, कि उसने दोनों संस्थाओं द्वारा प्रस्तुत सिस्टम-जनित निविदा स्वीकृति दस्तावेजों में समान आईपी एड्रेस की पहचान नहीं की।

बोर्ड ने जून 2024 में अवगत कराया कि आईपी एड्रेस की जांच करना उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता। हालांकि, निविदा प्रक्रिया की निष्पक्षता सुनिश्चित करने के महत्व को देखते हुए, बोर्ड को ऐसी जांच को अपनी जिम्मेदारी का आवश्यक हिस्सा मानना चाहिए था ताकि किसी भी संभावित हेरफेर को रोका जा सके।

तीनों भाग लेने वाली फर्मों द्वारा निविदा और प्रोसेसिंग शुल्क के लिए प्रस्तुत किए गए डिमांड ड्राफ्ट एक ही बैंक शाखा (एक्सिस बैंक, सेक्टर 44, नोएडा) से, एक ही दिनांक और समय पर जारी किए गए थे, जैसा कि ड्राफ्टों पर क्रमिक क्रमांकों से स्पष्ट होता है। यह मानते हुए कि ये

फर्में नई दिल्ली के पूरी तरह भिन्न क्षेत्रों में स्थित हैं, जैसा कि भाग 'अ' के अनुच्छेद (ii) में विस्तार से बताया गया है, एक ही दिन और स्थान से क्रमिक क्रमांक वाले डिमांड ड्राफ्ट प्राप्त करना निविदाकर्ताओं के बीच समन्वित प्रयास का संकेत देता है। यह निविदाकर्ताओं के बीच मिलीभगत की गंभीर आशंका को दर्शाता है और राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम, 2013 के नियम 80 के तहत उपापन प्रक्रिया में सत्यनिष्ठा संहिता का उल्लंघन है।

निष्कर्ष

लेखापरीक्षा के निष्कर्षों से यह स्पष्ट हुआ कि फ्रिस्किंग सेवाओं की उपापन प्रक्रियाओं में गंभीर चूकें हुईं, जिनमें अपर्याप्त योजना, प्रक्रियात्मक उल्लंघन और निविदाकर्ताओं की मिलीभगत के संकेत शामिल थे। बोर्ड ने प्रमुख सुरक्षा उपायों जैसे निविदाकर्ताओं की पात्रता की जांच, निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित करना, और समन्वित प्रयास की पहचान करने को लागू नहीं किया, जिससे निविदा प्रक्रिया की पारदर्शिता, निष्पक्षता और अखंडता प्रभावित हुई।

नगरीय विकास एवं आवासन विभाग

7.2 नगर विकास न्यास, जैसलमेर द्वारा एक फर्म से ₹ 1.17 करोड़ के नगरीय निर्धारण की कम वसूली

नगर विकास न्यास (यूआईटी), जैसलमेर ने एक होटल के निर्माण के लिए 99 वर्ष की लीज पर नीलाम किए गए वाणिज्यिक भूखंड पर फर्म से नगरीय निर्धारण की राशि ₹ 1.17 करोड़ कम वसूल की। यूआईटी ने सभी वर्षों के लिए नगरीय निर्धारण की गणना 2.5 प्रतिशत की दर से की थी, जो यूआईटी द्वारा जारी की गई भूखंड की नीलामी की शर्त का उल्लंघन था क्योंकि इसमें प्रावधान था कि नगरीय निर्धारण (लीज राशि) पहले पांच वर्षों के लिए आरक्षित दर के 2.5 प्रतिशत की दर से और आगे पांच प्रतिशत की दर से प्रभारित किया जाना था।

राजस्थान विकास न्यास (नगरीय भूमि निष्पादन) नियम 1974 के नियम 7(1) और (3) के अनुसार, आवासीय, शैक्षणिक, सामाजिक और धर्मार्थ संस्थानों, चिकित्सा क्लिनिक और नर्सिंग होम, पर्यटक इकाई के लिए लीज पर दी गई भूमि के मामले में आरक्षित दर[3] का 2.5 प्रतिशत एवं वाणिज्यिक और अन्य प्रयोजनों के लिए लीज पर दी गई भूमि के मामले में आरक्षित दर का पांच प्रतिशत की दर से नगरीय निर्धारण[4] (लीज राशि) प्रभारित किया जाना था। भूखंडों पर पहले पांच वर्षों के लिए नगरीय निर्धारण का केवल आधा और उसके बाद पूर्ण नगरीय निर्धारण प्रभारित किया जाना था। नगरीय निर्धारण भूखंड का कब्जा सौंपे जाने की तिथि से प्रभारित किया जाना था।

3 आरक्षित दर का अर्थ है स्वीकृत आरक्षित दर या योजना का मूल्य जिस पर न्यास द्वारा भूमि का निष्पादन किया जाएगा।

4 नगरीय निर्धारण का अर्थ पट्टेदार या उप-पट्टेदार से लीज होल्ड अधिकार प्रदान करने के लिए वसूल किए जाने वाले वार्षिक शुल्क से है।

नगर विकास न्यास (यूआईटी), 'जैसलमेर' के अभिलेखों की जनवरी 2023 में समीक्षा एवं मई 2024 में आगे की सूचना एकत्र करने के दौरान, 'लेखापरीक्षा ने पाया कि यूआईटी ने एक होटल कॉम्प्लेक्स' योजना[5] के तहत 15,425 वर्ग मीटर (व मी) का एक 'वाणिज्यिक' भूखंड एक होटल के निर्माण के लिए एक फर्म (अमित मित्तल एंड पार्टी) को 99 वर्ष की लीज पर नीलाम (21 मार्च 2013) किया था और यूआईटी द्वारा जारी भूखंड की नीलामी की शर्त के अनुसार नगरीय निर्धारण (लीज राशि), पहले पांच वर्षों के लिए आरक्षित दर का 2.5 प्रतिशत की दर से और आगे 5 प्रतिशत की दर से प्रभारित किया जाना था। यूआईटी द्वारा फर्म को भूखंड का कब्जा 09 मार्च 2015 को सौंपा गया था।

यूआईटी ने भूखंड के लिए नगरीय निर्धारण पहले दो वर्षों (09 मार्च 2015 से 08 मार्च 2017) के लिए आरक्षित दर ₹ 2,367 प्रति वर्ग मीटर के 2.5 प्रतिशत की दर से ₹ 9,12,774[6] प्रति वर्ष से प्रभारित (दिसंबर 2016) किया।

राज्य सरकार ने शहरी नागरिकों की कठिनाइयों को दूर करने और उनकी समस्या के त्वरित समाधान के लिए "*प्रशासन शहरों के संग अभियान-2021*[7]" की शुरुआत (02 अक्टूबर 2021) की। इसमें प्रावधान किया गया कि ऐसे मामले जिनमें पिछले वर्षों की लीज राशि बकाया है, उनमें बकाया लीज राशि का 40 प्रतिशत जमा करके और 10 वर्षों की लीज राशि अग्रिम रूप से जमा करके फ्री होल्ड लीज डीड प्रदान की जा सकती है। साथ ही, बकाया लीज राशि जमा कराने पर मई 2021 में जारी एक आदेश द्वारा ब्याज पर 100 प्रतिशत छूट प्रदान की गई थी और "*प्रशासन शहरों के संग अभियान-2021*" के दौरान भी इसकी अनुमति दी गई थी।

आगे, फर्म ने *प्रशासन शहरों के संग अभियान-2021* के तहत भूखंड की फ्री होल्ड लीज डीड जारी करने के लिए आवेदन किया (27 मार्च 2024)। यूआईटी ने पिछले चार वर्षों (09 मार्च 2017 से 08 मार्च 2021) का बकाया नगरीय निर्धारण ₹ 14,60,440[8] और अगले 10 वर्षों का अग्रिम नगरीय निर्धारण ₹ 91,27,740[9] की गणना करते हुए ₹ 1,05,88,180 नगरीय निर्धारण वसूल कर भूखंड की फ्री होल्ड लीज डीड जारी (03 अप्रैल 2024) की। नगरीय निर्धारण की गणना आरक्षित दर ₹ 2,367 प्रति वर्गमीटर' के 2.5 प्रतिशत की दर से और 09 मार्च 2017 से 08 मार्च 2021 की अवधि के लिए 60 प्रतिशत की छूट देने के बाद की गई थी।

---

5 होटल कॉम्प्लेक्स योजना को यूआईटी, जैसलमेर द्वारा स्वर्ण और पर्यटन नगरी जैसलमेर में जोधपुर रोड पर विकसित किया गया था। यह योजना जैसलमेर किले के बेहतर दृश्य और शहर के प्रमुख स्थान पर होटलों के निर्माण के लिए विकसित की गई थी।

6 15,425 वर्ग मीटर x ₹ 2,367 प्रति वर्ग मीटर x 2.5% = ₹ 9,12,774।

7 *प्रशासन शहरों के संग अभियान-2021* की अवधि आगे 31 मार्च 2024 तक बढ़ा दी गई (सितंबर 2023)।

8 एक वर्ष का नगरीय निर्धारण = ₹ 9,12,774, एक वर्ष का बकाया नगरीय निर्धारण = ₹ 9,12,774 का 40 प्रतिशत = ₹ 3,65,110। इसलिए, चार वर्षों (अवधि 09.03.2017 से 08.03.2021 तक) का बकाया नगरीय निर्धारण = ₹ 3,65,110 x 4 = ₹ 14,60,440।

9 एक वर्ष का नगरीय निर्धारण = ₹ 9,12,774, 10 वर्षों का अग्रिम नगरीय निर्धारण (09.03.2021 से) = ₹ 9,12,774 x 10 = ₹ 91,27,740।

लेखापरीक्षा ने पाया कि सभी वर्षों के लिए 2.5 प्रतिशत की दर से नगरीय निर्धारण प्रभारित करना यूआईटी द्वारा जारी भूखंड की नीलामी की शर्त का उल्लंघन था क्योंकि इसमें प्रावधान था कि नगरीय निर्धारण (लीज मनी) पहले पांच वर्षों के लिए आरक्षित दर के 2.5 प्रतिशत से और आगे 5 प्रतिशत की दर से प्रभारित किया जाना था। इसलिए, नगरीय निर्धारण मार्च 2020 से पांच प्रतिशत की दर से वसूल किया जाना चाहिए था। चूंकि फर्म ने मार्च 2024 में फ्री होल्ड लीज डीड जारी करने के लिए आवेदन किया था, इसलिए बकाया नगरीय निर्धारण की गणना मार्च 2024 तक की जानी चाहिए थी। यद्यपि, यूआईटी, जैसलमेर ने 09.03.2021 से 08.03.2024 की अवधि के लिए नगरीय निर्धारण ₹ 21,90,660 की वसूली किए बिना भूखंड की फ्री होल्ड लीज डीड जारी कर दी। नगरीय निर्धारण की गणना नीचे **तालिका 7.2** में दी गई है:

तालिका 7.2: नगरीय निर्धारण की गणना

(राशि ₹ में)

अवधि	वसूल किया जाने योग्य नगरीय निर्धारण			यूआईटी द्वारा वसूल किया गया नगरीय निर्धारण			नगरीय निर्धारण की कम वसूल की गई राशि
	दर (%)	वार्षिक राशि	वसूल की जाने वाली वास्तविक राशि*	दर	वार्षिक राशि	वास्तविक राशि वसूल की गई*	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8=4-7)
09.03.2015 से 08.03.2016	2.5	9,12,774	9,12,774	2.5	9,12,774	9,12,774	0.00
09.03.2016 से 08.03.2017	2.5	9,12,774	9,12,774	2.5	9,12,774	9,12,774	0.00
09.03.2017 से 08.03.2018	2.5	9,12,774	3,65,110	2.5	9,12,774	3,65,110	0.00
09.03.2018 से 08.03.2019	2.5	9,12,774	3,65,110	2.5	9,12,774	3,65,110	0.00
09.03.2019 से 08.03.2020	2.5	9,12,774	3,65,110	2.5	9,12,774	3,65,110	0.00
09.03.2020 से 08.03.2021	5	18,25,549	7,30,220	2.5	9,12,774	3,65,110	3,65,110
09.03.2021 से 08.03.2022	5	18,25,549	7,30,220	-	-	0	7,30,220
09.03.2022 से 08.03.2023	5	18,25,549	7,30,220	-	-	0	7,30,220
09.03.2023 से 08.03.2024	5	18,25,549	7,30,220	-	-	0	7,30,220
10 साल के लिए अग्रिम	5	18,25,549	1,82,55,490	2.5	9,12,774	91,27,740	91,27,740
कुल			**2,40,97,248**			**1,24,13,728**	**1,16,83,510**

* *प्रशासन शहरों के संग अभियान-2021* के प्रावधानों के अनुसार 09.03.2017 से 08.03.2024 की अवधि के लिए 60 प्रतिशत की छूट की अनुमति देने के बाद नगरीय निर्धारण की वार्षिक राशि का 40 प्रतिशत।

इस प्रकार, यूआईटी ने वसूली योग्य राशि ₹ 2.41 करोड़ के विरुद्ध राशि ₹ 1.24 करोड़ का नगरीय निर्धारण वसूल किया, जिसके परिणामस्वरूप फर्म से ₹ 1.17 करोड़ के नगरीय निर्धारण की कम वसूली हुई।

प्रकरण राज्य सरकार को उनकी टिप्पणी के लिए दिसंबर 2024 में जानकारी में लाया गया था; उनका प्रत्युत्तर प्रतीक्षित है।

चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

7.3 एक्जीलरी नर्स एंड मिडवाइफ ट्रेनिंग सेंटर छात्रावास भवन, झालावाड़, राजस्थान के निर्माण में विलम्ब

विभाग द्वारा ठेका दिए जाने से पूर्व भूमि और अनुमोदित नक्शे समय पर उपलब्ध नहीं करवाए गए और संवेदक द्वारा कार्य की धीमी प्रगति के बावजूद विभाग द्वारा अनुबंध की शर्तों के अनुरूप अनुबंध को समाप्त करने या संवेदक के विरुद्ध कोई भी दंडात्मक कार्रवाई करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया। परिणामस्वरूप छह वर्ष व्यतीत हो जाने और ₹ 3.04 करोड़ व्यय होने के बाद भी निर्माण कार्य पूर्ण नहीं हो सका।

भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के वर्ष 2018-19 के राज्य कार्यक्रम कार्यान्वयन योजना (एसपीआईपी) के अंतर्गत झालावाड़ में एक्जीलरी नर्स एंड मिडवाइफ ट्रेनिंग सेंटर (एएनएमटीसी) छात्रावास भवन के निर्माण के लिए ₹ 4.07 करोड़ की स्वीकृति (जून 2018) प्रदान की गई।

लोक निर्माण वित्तीय एवं लेखा नियम (पीडब्ल्यूएफएंडएआर), भाग-I के नियम 298 में प्रावधान है कि योजना हेतु भूमि की उपलब्धता एक पूर्व आवश्यकता है। साथ ही, पीडब्ल्यूएफएंडएआर, भाग-II के परिशिष्ट XIII के अनुभाग-II में यह निर्धारित है कि अनुबंध के कार्यों के निष्पादन हेतु समय-सीमा मे वृद्धि लिखित कारणों से ही दी जाएगी।

इसके अतिरिक्त, अनुबंध समझौते के वाक्यांश 27ए में यह प्रावधान था कि प्रभारी अभियंता कार्य का पर्यवेक्षण करेगा और यदि कार्य में आनुपातिक प्रगति नहीं होती है, तो लिखित सूचना देकर फर्म से कार्य वापस ले लिया जाएगा (वाक्यांश 32) और कार्य पूर्ण करने के लिए किसी अन्य एजेंसी को लगाया जा सकता है। प्रगति में विलम्ब होने पर अनुबंध समझौते के वाक्यांश 2 के अनुसार क्षतिपूर्ति अधिरोपित की जाएगी।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, राजस्थान सरकार ने एएनएमटीसी छात्रावास भवन के निर्माण के लिए ₹ 4.07 करोड़ की प्रशासनिक एवं वित्तीय (एएंडएफ) स्वीकृति जारी की (जून 2018)। यह कार्य न्यूनतम निविदाकर्ता को ₹ 3.49 करोड़ (अनुमानित लागत से 7 प्रतिशत अधिक) में प्रदान (दिसंबर 2018) किया गया तथा पूर्णता की तिथि 28 अगस्त 2019 निर्धारित की गई। इसके अतिरिक्त, विद्युत कार्य का ठेका ₹ 0.31 करोड़ की अनुमानित लागत पर प्रदान किया गया (नवंबर 2019) जिसकी पूर्णता की तिथि जुलाई 2020 निर्धारित की गई।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि छात्रावास निर्माण के लिए भूमि का आवंटन प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति (जून 2018) जारी होने के सात माह से अधिक समय व्यतीत हो जाने के बाद फरवरी 2019 में किया गया। यह लोक निर्माण वित्तीय और लेखा नियम, भाग-I के नियम 298 के विरुद्ध था जो यह प्रावधान करता है कि भूमि की उपलब्धता योजना के लिए एक पूर्व आवश्यकता है। तत्पश्चात्, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (सीएमएण्डएचओ) ने तीन माह बाद अर्थात्

21 जून 2019 को नक्शों की 'स्वीकृति' प्रदान की। अधिशाषी अभियंता, 'एमएण्डएच', कोटा ने दो बार अर्थात् 27 दिसंबर 2019 तक और 30 नवंबर 2020 तक बिना कोई कारण बताए समय-वृद्धि स्वीकृत की जो पीडब्ल्यूएफएंडएआर के विरुद्ध था। अधिशाषी अभियंता एमएण्डएच, कोटा ने कार्य की धीमी प्रगति के लिए संवेदक को कई नोटिस जारी (दिसंबर 2020, फरवरी 2021, अप्रैल 2021, जून 2021) किए। यह पाया गया कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा कार्य निष्पादन के लिए (30 नवंबर 2020 के बाद) कोई और समय-वृद्धि स्वीकृत नहीं की गई, परन्तु संवेदक ने दिसंबर 2024 तक कार्य निष्पादित किया और वित्तीय प्रगति के अनुसार मई 2025 तक ₹ 2.20 करोड़[10] (58 प्रतिशत कार्य) का भुगतान किया गया। विभाग द्वारा उपलब्ध करवाए गए मासिक प्रगति प्रतिवेदन (अगस्त 2025) के अनुसार, एएनएमटीसी के निर्माण में पेंटिंग का कार्य चल रहा था और ₹ 3.04 करोड़ का व्यय किया जा चुका है।

अधिशाषी अभियंता, एमएण्डएच, कोटा ने कार्य की अत्यंत धीमी प्रगति के लिए संवेदक को कई नोटिस जारी किए और मुख्य/अधीक्षण अभियंता, एमएण्डएच, जयपुर से भी फर्म के विरुद्ध कार्रवाई करने का बार-बार अनुरोध (जून, जुलाई 2021 और जनवरी, मार्च 2022) किया। हालाँकि, अनुबंध समझौते के वाक्यांश 32 के अनुसार अनुबंध को समाप्त करने और कार्य पूर्ण करने के लिए किसी अन्य एजेंसी को नियुक्त करने हेतु कोई कार्रवाई प्रारंभ नहीं की गई।

राज्य सरकार ने अवगत (दिसंबर 2023 और नवंबर 2024) कराया कि राजस्व प्राधिकरण द्वारा भूमि का आवंटन विलम्ब से किया गया था और इसमें मानचित्र की स्वीकृति हेतु पक्षकार (उपयोगकर्ता विभाग), वास्तुकार और संबंधित सीएमएण्डएचओ के साथ विस्तृत चर्चा और बैठकों का आयोजन शामिल है। यह भी सूचित किया गया कि संवेदक की ओर से हुए विलम्ब के कारण रनिंग बिल से ₹ 2.25 लाख की राशि की कटौती की गई है। विभाग ने आगे अवगत कराया कि फिनिशिंग कार्य प्रगति पर है और प्रशासनिक विभाग द्वारा निर्धारित परिसमापन क्षतिपूर्ति (एलडी) की राशि संवेदक से वसूल की जाएगी।

लेखापरीक्षा का मत है कि विभाग की ओर से गंभीर लापरवाही हुई है। इस तथ्य के बावजूद कि विभाग को यह जानकारी थी कि संवेदक 30 नवंबर 2020 के बाद समय-वृद्धि के बिना कार्य कर रहा था, विभाग द्वारा अनुबंध को बढ़ाने या इसे समाप्त करने के लिए कोई कार्रवाई प्रारंभ नहीं की गई थी। विभाग के अभिलेखों से यह स्पष्ट है कि कार्य बहुत धीमी गति (संवेदक की ओर से चार वर्ष से अधिक) से किया जा रहा था तथा विभाग द्वारा संवेदक के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया गया। इस प्रकार, विभाग की ओर से निगरानी में कमी और कार्रवाई करने में निष्क्रियता के परिणामस्वरूप छह वर्ष व्यतीत हो जाने और ₹ 3.04 करोड़ व्यय होने के बावजूद काम अधूरा रह गया।

10 मई 2025 तक सिविल कार्यों पर ₹ 2.03 करोड़ + विद्युत कार्यों पर ₹ 0.17 करोड़ = ₹ 2.20 करोड़।

7.4 मानवशक्ति की भर्ती न होने तथा ₹ 21.87 करोड़ के उपकरणों की खरीद न होने के कारण, 12 डीईआईसी के निर्माण पर किया गया ₹ 8.35 करोड़ का व्यय 3 से 5 वर्ष से अधिक समय व्यतीत होने के बाद भी निष्फल रहा

चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ने वर्ष 2016-17 से 2017-18 के दौरान 12 जिला प्रारंभिक हस्तक्षेप केंद्रों (डीईआईसी) के निर्माण पर ₹ 8.35 करोड़ व्यय किए । यद्यपि, ये केंद्र संचालन संबंधी तैयारियों में गंभीर कमियों, यथा कर्मचारियों की भर्ती न होने, के कारण जून 2025 तक अक्रियाशील रहे । इसके अतिरिक्त, भारत सरकार द्वारा ₹ 22.91 करोड़ की राशि स्वीकृत किये जाने के बावजूद, कोई आवश्यक नैदानिक या चिकित्सा उपकरण उपलब्ध नहीं करवाए गए तथा इसमें से ₹ 21.87 करोड़ अनुपयोजित रह गए । परिणामस्वरूप, बाल विकास संबंधी विकारों और विकलांगताओं की पूर्व पहचान करने और इलाज करने का मुख्य उद्देश्य अधूरा रह गया, जो योजना और कार्यान्वयन में गंभीर खामियों को दर्शाता है ।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार ने फरवरी 2013 में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एनआरएचएम) के अंतर्गत बाल स्वास्थ्य जाँच एवं प्रारंभिक हस्तक्षेप सेवाओं के संचालन संबंधी दिशा-निर्देश जारी किए, जिनका उद्देश्य प्रत्येक जिला अस्पताल में एक जिला प्रारंभिक हस्तक्षेप केंद्र (डीईआईसी) स्थापित करना था । डीईआईसी की स्थापना का मुख्य उद्देश्य उन बच्चों (जन्म से 18 वर्ष तक, विशेष रूप से 0-6 वर्ष) की पहचान करना जिनमें विकासात्मक विलंब, विकलांगता, जन्मजात विसंगतियाँ अथवा अन्य स्वास्थ्य समस्याएं हैं या होने का खतरा है, और उनको समय पर तृतीयक स्तर के स्वास्थ्य सेवा संस्थानों में रेफ़र और उनके साथ जुड़ने में सहायता करना था ।

जून 2015 में, भारत सरकार ने प्रति केंद्र ₹ 0.75 करोड़ की अनुमानित लागत पर राजस्थान में 34 डीईआईसी के निर्माण की स्वीकृति दी थी । हालाँकि, नौ जिलों में भूमि की अनुपलब्धता के कारण मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम), जयपुर ने 25 डीईआईसी के निर्माण की स्वीकृति दी (दिसंबर 2015) । इसके बाद नवंबर 2017 में, जोधपुर में एक डीईआईसी की स्वीकृति भी लगातार भूमि संबंधी समस्याओं के कारण वापस ले ली गई ।

वर्ष 2016-17 और 2019-20 के बीच, 24 डीईआईसी का निर्माण कुल ₹16.55 करोड़ की लागत से किया गया । जून 2023 में, चार अतिरिक्त डीईआईसी, प्रत्येक ₹1.30 करोड़ की संशोधित लागत पर स्वीकृत किये गए । इनमें से एक ₹1.21 करोड़ की लागत पर पूर्ण हो गया (अक्टूबर 2024) और तीन केंद्र जुलाई 2025 तक निर्माणाधीन थे ।

विभाग की अनुपालन लेखापरीक्षा के दौरान पाया गया कि इन 24 डीईआईसी में से, ₹ 8.35 करोड़ की लागत से निर्मित 12 डीईआईसी संचालन संबंधी तैयारियों में निम्नलिखित महत्वपूर्ण कमियों के कारण जून 2025 तक अक्रियाशील रहे ।

i. मानवशक्ति की भारी कमी

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा फरवरी 2013 में एनआरएचएम के अंतर्गत बाल स्वास्थ्य जाँच और प्रारंभिक हस्तक्षेप सेवाओं के लिए जारी संचालन संबंधी दिशा-निर्देशों में निर्दिष्ट किया गया था कि सुचारू संचालन सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक डीईआईसी के पास 13 सदस्यीय[11] चिकित्सा दल होना चाहिए।

राज्य सरकार ने 2018-21 के दौरान, प्रति डीईआईसी केवल आठ पदों[12] की स्वीकृति के लिए भारत सरकार को प्रस्ताव प्रस्तुत किए, और वह भी मात्र 12 डीईआईसी के लिए। सभी 29 डीईआईसी (जिला अस्पतालों और चिकित्सा महाविद्यालय से संबद्ध अस्पतालों में संचालित पाँच सहित) के प्रस्ताव 2021-22 से प्रस्तुत किए गए, और भारत सरकार ने उन्हें संबंधित वर्षों में अनुमोदित किया। हालाँकि, जनवरी 2025 तक, प्रति डीईआईसी शेष पाँच[13] पदों की स्वीकृति के प्रस्ताव भारत सरकार को प्रस्तुत नहीं किए गए थे। जून 2025 तक 24 डीईआईसी में नियुक्त मानवशक्ति का विवरण निम्नलिखित बार चार्ट-I में प्रस्तुत किया गया है और विस्तृत विवरण ***परिशिष्ट-7.1*** में दिया गया है।

चार्ट-I: जून 2025 को 24 डीईआईसी में मानवशक्ति की उपलब्धता

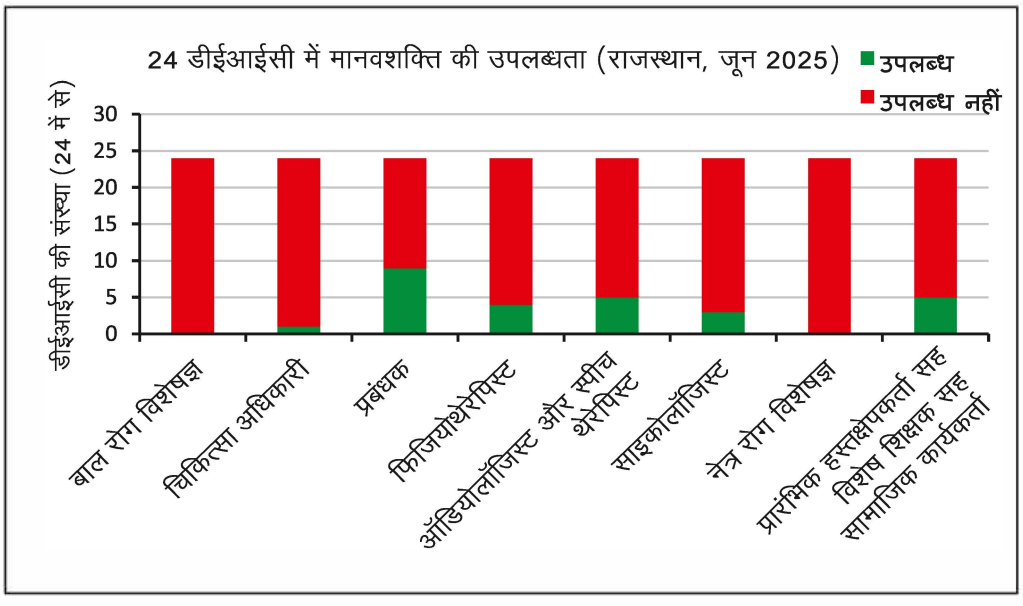

11 बाल रोग विशेषज्ञः 01, चिकित्सा अधिकारीः 01, दंत चिकित्सकः 01, फिजियोथेरेपिस्टः 01, ऑडियोलॉजिस्ट और स्पीच थेरेपिस्टः 01, साइकोलॉजिस्टः 01, नेत्र रोग विशेषज्ञः 01, प्रारंभिक हस्तक्षेपकर्ता सह विशेष शिक्षक सह सामाजिक कार्यकर्ताः 01, लैब तकनीशियनः 02, दंत तकनीशियनः 01, प्रबंधकः 01 और डाटा एंट्री ऑपरेटरः 01

12 बाल रोग विशेषज्ञः 01, चिकित्सा अधिकारीः 01, प्रबंधकः 01, फिजियोथेरेपिस्टः 01, ऑडियोलॉजिस्ट और स्पीच थेरेपिस्टः 01, मनोवैज्ञानिकः 01, नेत्र रोग विशेषज्ञः 01 और प्रारंभिक हस्तक्षेपकर्ता सह विशेष शिक्षक सह सामाजिक कार्यकर्ताः 01

13 दंत चिकित्सकः 01, लैब तकनीशियनः 02, दंत तकनीशियनः 01 और डाटा एंट्री ऑपरेटरः 01

आंकड़ों से प्रकट होता है कि जून 2025 तक किसी भी डीईआईसी में सभी आठ सदस्यों वाला चिकित्सा दल नहीं था, जबकि सभी 24 डीईआईसी वर्ष 2016-17 और 2019-20 के बीच पूर्ण हो गए थे। उल्लेखनीय है कि 24 में से 12[14] डीईआईसी (50 प्रतिशत) में जून 2025 तक कोई कार्मिक नियुक्त नहीं था, जिससे वे पूरी तरह से अक्रियाशील रहे।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि 24 डीईआईसी में से किसी में भी बाल रोग विशेषज्ञ या नेत्र रोग विशेषज्ञ नहीं था, साथ ही 63 से 96 प्रतिशत डीईआईसी में शेष छह[15] चिकित्सा पद रिक्त थे। परिणामस्वरूप, डीईआईसी व्यापक रूप से प्रारंभिक हस्तक्षेप सेवाएँ प्रदान करने में काफी हद तक अक्रियाशील रहे।

अपने प्रत्युतर में, राज्य सरकार ने तथ्यों को स्वीकार करते हुए अवगत कराया (जनवरी 2025) कि विभिन्न पदों के लिए उपयुक्त कार्मिकों की अनुपलब्धता के कारण पद रिक्त रह गए। यह भी अवगत कराया कि भर्ती प्रक्रिया वर्तमान में प्रगतिरत है।

ii. उपकरणों के उपापन में गंभीर त्रुटियाँ

मई 2014 में, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार ने डीईआईसी की स्थापना हेतु संचालन संबंधी दिशा-निर्देश जारी किए, जिसमें अन्य प्रावधानों के साथ, इन केंद्रों में विभिन्न स्वास्थ्य स्थितियों के निदान एवं उपचार के लिए आवश्यक नैदानिक और चिकित्सा उपकरणों, औजारों, उपभोग्य सामग्रियों, प्रयोगशाला उपकरणों की एक विस्तृत सूची[16] सम्मिलित थी।

परियोजना निदेशक, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम (आरबीएसके), एनएचएम, जयपुर द्वारा जून 2024 में लेखापरीक्षा को उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार, भारत सरकार ने 29[17] डीईआईसी के लिए चिकित्सा उपकरणों के उपापन हेतु 2013-14 और 2021-22 के मध्य ₹ 22.91 करोड़ स्वीकृत किए थे। इस राशि में से, राज्य सरकार ने ₹ 20.61 करोड़ स्वीकृत किए, जिसमें शामिल हैं:

---

14 बांसवाड़ा, भीलवाड़ा, दौसा, डूंगरपुर, जैसलमेर, जालौर, झालावाड़, प्रतापगढ़, राजसमंद, सवाई माधोपुर, सिरोही और श्रीगंगानगर।

15 रिक्त रहे पद: चिकित्सा अधिकारी: 96 प्रतिशत (24 में से केवल एक पदस्थ) और प्रबंधक: 63 प्रतिशत (24 में से केवल नौ पदस्थ)।

16 ओटोएकॉस्टिक एमिशन (ओएई) स्क्रीनर, ऑडियोमीटर, इन्फैंटोमीटर, बाल चिकित्सा स्टेथोस्कोप, स्फिग्मोमैनोमीटर, स्टेडियोमीटर, ऑप्थाल्मोस्कोप, श्रवण और दृष्टि क्षति उपकरण, फिजियोथेरेपी/ ओक्यूपेशनल थेरेपी के लिए उपकरण, सभी अटैचमेंट्स के साथ डेंटल चेयर, वाल माउंटेड डेंटल एक्स-रे, चिकित्सा उपकरण (वयस्क वजन मशीन और डिजिटल हीमोग्लोबिनोमीटर) आदि।

17 इसमें जिला अस्पतालों और चिकित्सा महाविद्यालय से संबद्ध अस्पतालों से संचालित पांच डीईआईसी शामिल हैं।

- राजस्थान चिकित्सा सेवा निगम लिमिटेड (आरएमएससीएल)[18] के माध्यम से उपकरणों[19] के उपापन के लिए ₹ 18.36 करोड़ (जुलाई 2018 और जुलाई 2022 के मध्य स्वीकृत), और

- जिला कलेक्टरों की अध्यक्षता वाली जिला स्वास्थ्य समितियों के माध्यम से उपापन के लिए ₹ 2.25 करोड़ (जुलाई 2017 और मार्च 2020 के मध्य स्वीकृत)।

लेखापरीक्षा संवीक्षा में पाया गया कि ₹ 18.36 करोड़ में से, आरएमएससीएल ने ₹ 0.83 करोड़ की कुल लागत से 29 ओटोएकॉस्टिक एमिशन (ओएई) एनालाइज़र खरीदे (अक्टूबर 2024)। मिशन निदेशक, एनएचएम, जयपुर द्वारा आरएमएससीएल के प्रबंध निदेशक/कार्यकारी निदेशक को मई, जून एवं अक्टूबर 2023 में तथा पुनः जनवरी 2024 में कई स्मरण पत्र भेजे जाने के बावजूद, चिकित्सा उपकरणों की खरीद न होने के कारणों के सम्बन्ध में कोई उत्तर या स्पष्टीकरण प्राप्त नहीं हुआ।

इसके अलावा, यह भी देखा गया कि जिला स्वास्थ्य समितियों के माध्यम से आवंटित ₹ 2.25 करोड़ में से मात्र ₹ 0.21 करोड़ [20] ही 2018-20 के दौरान व्यय किए गए, और वह भी सात डीईआईसी के लिए गैर-प्रमुख मदों जैसे कंप्यूटर, प्रिंटर, यूपीएस सिस्टम और अन्य उपकरणों पर किए गए। कोई भी प्रमुख नैदानिक या चिकित्सा उपकरण नहीं खरीदे गए। जुलाई 2025 तक, भारत सरकार द्वारा स्वीकृत कुल ₹ 22.91 करोड़ में से शेष ₹ 21.87 करोड़ (₹ 22.91 करोड़ - ₹ 0.83 करोड़ - ₹ 0.21 करोड़) से कोई चिकित्सा उपकरण नहीं खरीदा गया था।

इसके अतिरिक्त, भारत सरकार द्वारा स्वीकृत राशि में से अप्रयुक्त ₹ 2.30 करोड़ (₹ 22.91 करोड़ - ₹ 20.61 करोड़) में से, ₹ 1.95 करोड़ 2018-19 से मिशन निदेशक, एनएचएम,

---

18 यह राज्य का एक सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है जो राज्य के समस्त सरकारी स्वास्थ्य देखभाल संस्थानों के लिए दवाओं, शल्य चिकित्सा वस्तुओं और चिकित्सा उपकरणों की खरीद के लिए जिम्मेदार है।

19 उपकरणों की खरीद के लिए ₹ 18.36 करोड़: **₹ 1.45 करोड़** (**जुलाई 2018:** ओटोएकॉस्टिक एमिशन (ओएई) उपकरण, इंपीडेंस ऑडियोमीटर, पीडियाट्रिक ऑरोस्कोप (ओटोस्कोप), स्पीच एंड लैंग्वेज असेसमेंट किट, स्ट्रीक रेटिनोस्कोप, ली ग्रेटिंग पैडल, वाइनलैंड एडेप्टिव बिहेवियर स्केल्स, बेयलर-III स्क्रीनिंग टेस्ट कंप्लीट किट जिसमें शामिल हैं: मैनुअल, स्टिम बुक, पिक्चर बुक, रिकॉर्ड फॉर्म 25 पैक, डिस्लेक्सिया अर्ली स्क्रीनिंग टेस्ट 4-6 साल (डीईएसटी) और डिस्लेक्सिया स्क्रीनिंग टेस्ट जूनियर (6-11 साल)), **₹ 1.25 करोड़** (**दिसंबर 2020:** स्पीच एंड लैंग्वेज असेसमेंट किट, स्ट्रीक रेटिनोस्कोप, ली ग्रेटिंग पैडल, वाइनलैंड एडेप्टिव बिहेवियर स्केल्स, बेयलर-III स्क्रीनिंग टेस्ट कंप्लीट किट जिसमें शामिल हैं: मैनुअल, स्टिम बुक, पिक्चर बुक, रिकॉर्ड फॉर्म 25 पैक, डिस्लेक्सिया अर्ली स्क्रीनिंग टेस्ट 4-6 साल (डीईएसटी) और डिस्लेक्सिया स्क्रीनिंग टेस्ट जूनियर (6-11 साल) **₹ 15.66 करोड़** (**जुलाई 2022:** फिजियोथेरेपी/ऑक्यूपेशनल थेरेपी के लिए उपकरण, दृष्टि, श्रवण और भाषण के लिए डायग्नोस्टिक उपकरण/टूल्स (ओएई स्क्रीनर), बौद्धिक, भावनात्मक और व्यवहारिक मूल्यांकन, दंत चिकित्सा उपकरण और चिकित्सा उपकरण (वयस्क वजन मशीन और डिजिटल हीमोग्लोबिनोमीटर) और फर्नीचर आदि।

20 भीलवाड़ा: ₹ 2.51 लाख; चित्तौड़गढ़: ₹ 4.40 लाख; जालौर: ₹ 1.99 लाख; जोधपुर: ₹ 2.87 लाख; पाली: ₹ 1.93 लाख, सवाई माधोपुर: ₹ 2.23 लाख और सिरोही: ₹ 5.44 लाख।

जयपुर के पास पड़े रहे, जबकि शेष ₹ 0.35 करोड़ की वस्तुस्थिति परियोजना निदेशक, आरबीएसके के पास उपलब्ध नहीं थी ।

प्रत्युत्तर में, राज्य सरकार ने जनवरी 2025 में अवगत कराया कि 29 डिजिटल हीमोग्लोबिन मीटर (स्ट्रिप-आधारित) और 58 वयस्क वजन स्केल के लिए खरीद आदेश दिए जा रहे थे, और शेष उपकरणों की उपापन प्रक्रिया चल रही है ।

स्पष्टतः, 2016 और 2020 के बीच स्थापित 24 डीईआईसी में से किसी को भी, स्थापना के पांच साल से अधिक समय के बाद भी, किसी भी नैदानिक या चिकित्सा उपकरण से सुसज्जित नहीं किया गया था ।

परिणामस्वरूप, 12 डीईआईसी अक्रियाशील रहे और 12 डीईआईसी आंशिक रूप से क्रियाशील रहे, जिससे उनकी स्थापना का मूल उद्देश्य ही विफल हो गया । इस प्रकार, ₹ 8.35 करोड़ का निवेश निष्फल व्यय में परिणित हुआ, जो चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा नियोजन, समन्वय और क्रियान्वयन में प्रणालीगत कमियों को दर्शाता है ।

राज्य सरकार को इन केन्द्रों को संचालित करने और सार्वजनिक संसाधनों की और बर्बादी को रोकने के लिए तुरंत सुधारात्मक कदम उठाने की जरूरत है ।

उच्च शिक्षा विभाग

7.5 फर्म को अनुचित लाभ

जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर द्वारा अक्टूबर 2021 में विश्वविद्यालय प्रबंधन प्रणाली के रखरखाव के लिए एक फर्म को ठेका दिया गया जो प्रमुख वित्तीय एवं तकनीकी पात्रता मानदंडों को पूरा नहीं करती थी । यह फर्म अनुबंध के दायित्वों को निभाने में विफल रही, 25 में से केवल 6 मॉड्यूल ही क्रियाशील थे, और प्रशिक्षित कर्मचारियों के लगातार अभाव के कारण 43 महीनों बाद भी प्रणाली का समुचित उपयोग नहीं हो पाया । इन कमियों के बावजूद, विश्वविद्यालय ने फर्म को ₹ 18.44 करोड़ का भुगतान किया । भुगतान की वसूली और पुनः निविदा आमंत्रण के लिए निगरानी समिति की सिफारिशों की अनदेखी की गई, जो अनुबंध प्रबंधन में गंभीर चूक को दर्शाता है ।

विश्वविद्यालय प्रबंधन प्रणाली (यूएमएस) एक सॉफ़्टवेयर प्लेटफ़ॉर्म है जिसे विश्वविद्यालय की शैक्षणिक और प्रशासनिक प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है । यह छात्र अभिलेखों, पाठ्यक्रम समय-सारणी, संकाय विवरण, वित्तीय लेन-देन और विश्वविद्यालय के अन्य आवश्यक कार्यों के प्रबंधन में सहायता करता है । प्रणाली को लागू करने के बाद इसके प्रभावी संचालन को सुनिश्चित करने के लिए नियमित रखरखाव आवश्यक होता है ।

जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर (विश्वविद्यालय) में वर्ष 2016 से 2021 तक यूएमएस का विकास, कार्यान्वयन और रखरखाव आईटीआई लिमिटेड[21], नई दिल्ली द्वारा किया गया था। इस प्रणाली के रखरखाव सहायता अनुबंध की तीन और वर्षों (2021-2024) के लिए वृद्धि हेतु विश्वविद्यालय ने 04 अगस्त 2021 को ई-प्रोक्योरमेंट प्रक्रिया के माध्यम से खुली निविदा आमंत्रण सूचना जारी की। कार्य की अनुमानित लागत ₹16 करोड़ थी। निविदा बंद होने की अंतिम तिथि 23 अगस्त 2021 तक तीन फर्मों[22] ने अपने प्रस्ताव प्रस्तुत किए। इन निविदाओं का मूल्यांकन गुणवत्ता और लागत आधारित चयन (क्यूसीबीएस) विधि [23] के अनुसार किया जाना था।

विश्वविद्यालय द्वारा संधारित संबंधित दस्तावेज़ों की लेखापरीक्षा संवीक्षा में निम्नलिखित विसंगतियाँ उजागर हुईं:

(i) राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता (आरटीपीपी) नियम, 2013 के नियम 59 (5) के अनुसार, यदि कोई निविदा, निविदा आमंत्रण सूचना (एनआईटी) की सभी आवश्यकताओं को पूरा करती है, तो उसे प्रत्युत्तरदायी माना जाना चाहिए, और ऐसे मामूली या महत्वहीन विचलन, त्रुटियाँ या चूकें जो निविदा की मूल भावना को प्रभावित नहीं करते, उन्हें नज़रअंदाज़ किया जाना चाहिए।

25 अगस्त 2021 को निविदा मूल्यांकन के दौरान, विश्वविद्यालय की निविदा मूल्यांकन समिति ने ट्रांज़िट इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड द्वारा प्रस्तुत निविदा को अपेक्षाकृत मामूली कारणों से अस्वीकार कर दिया। समिति ने यह तर्क दिया कि फर्म द्वारा प्रस्तुत बयाना राशि जमा रसीद, डीलिस्टिंग/ब्लैकलिस्टिंग से संबंधित शपथ-पत्र और प्रतिनिधि को फर्म की ओर से हस्ताक्षर करने हेतु अधिकृत करने वाला प्राधिकार पत्र जैसे दस्तावेज ऑनलाइन प्रारूप में प्रस्तुत किए गए थे, जबकि नियमों के अनुसार इन्हें भौतिक प्रारूप में प्रस्तुत किया जाना था।

उसी दिन, समिति ने शेष दो फर्मों– आईटीआई लिमिटेड और एक्सपेडियन ई सॉल्यूशंस लिमिटेड की तकनीकी निविदाएं खोलीं। आईटीआई लिमिटेड द्वारा प्रस्तुत निविदा को ब्लैकलिस्टिंग से संबंधित शपथ पत्र में एक मामूली त्रुटि के कारण गैर-प्रत्युत्तरदायी घोषित कर दिया गया, जिसमें त्रुटि से पता नई दिल्ली के स्थान पर जयपुर, राजस्थान लिखा गया था। विश्वविद्यालय का यह निर्णय अनुचित प्रतीत होता है, क्योंकि आईटीआई लिमिटेड पूर्ववर्ती पाँच वर्षों (2016-2021) से विश्वविद्यालय की मौजूदा यूएमएस के रखरखाव का कार्य कर रही थी।

ट्रांज़िट इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और आईटीआई लिमिटेड की निविदाओं को अस्वीकार करना अनुचित था और आरटीपीपी नियमों के नियम 59 (5) का उल्लंघन था, जो ऐसी मामूली

21 दूरसंचार प्रौद्योगिकी क्षेत्र में एक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम।

22 ट्रांज़िट इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, अहमदाबाद; गुजरात; आईटीआई लिमिटेड, नई दिल्ली; और एक्सपेडियन ई सॉल्यूशंस लिमिटेड, नोएडा।

23 क्यूसीबीएस एक विधि है जिसका उपयोग निविदा मूल्यांकन में किया जाता है, विशेष रूप से सलाहकारों की नियुक्ति या सेवाओं की प्राप्ति के लिए, जिसमें तकनीकी और वित्तीय घटकों दोनों को पूर्वनिर्धारित महत्व दिया जाता है।

त्रुटियों को स्वीकार करने की अनुमति देता है जो निविदा की वैधता को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित नहीं करती ।

(ii) निविदा मूल्यांकन के लिए निर्धारित गुणवत्ता और लागत आधारित चयन (क्यूसीबीएस) विधि ने इस मामले में प्रभावी रूप से अपनी प्रासंगिकता खो दी, क्योंकि अन्य निविदाकर्ताओं को अनपेक्षित रूप से अयोग्य घोषित किए जाने के कारण प्रतिस्पर्धी प्रस्तावों की तकनीकी दक्षता और मूल्य की उपयुक्तता का मूल्यांकन और तुलना करने का कोई अवसर नहीं बचा । परिणामस्वरूप, एक्सपेडियन ई सॉल्यूशंस लिमिटेड एकमात्र शेष निविदाकर्ता के रूप में सामने आया ।

विश्वविद्यालय, 02 सितंबर 2021 को आयोजित एक तकनीकी प्रस्तुति के आधार पर एक्सपेडियन ई सॉल्यूशंस लिमिटेड का चयन करने की ओर अग्रसर हुआ । इसके अगले दिन, 03 सितंबर 2021 को वित्तीय निविदा खोली गई, जिसमें प्रति छात्र प्रति परीक्षा ₹ 250 की दर उद्धृत की गई थी । बाद में, 20 सितंबर 2021 को यह दर घटाकर ₹ 240 प्रति छात्र प्रति परीक्षा कर दी गई । इसके पश्चात, विश्वविद्यालय ने 06 अक्टूबर 2021 को एक्सपेडियन ई सॉल्यूशंस लिमिटेड के साथ अंतिम दर ₹ 240 प्रति छात्र प्रति परीक्षा पर तीन वर्ष की अवधि, 13 अक्टूबर 2021 से 12 अक्टूबर 2024 तक के लिए एक अनुबंध किया ।

(iii) वित्तीय टर्नओवर और तकनीकी क्षमता से संबंधित न्यूनतम पूर्व-योग्यता (पीक्यू) या पात्रता मानदंडों को पूरा नहीं करने के बावजूद एक्सपेडियन ई सॉल्यूशंस लिमिटेड को योग्य घोषित किया गया, इन विवरणों को नीचे **तालिका 7.3** में प्रस्तुत किया गया है:

तालिका 7.3: एक्सपेडियन ई सॉल्यूशंस लिमिटेड द्वारा पूर्व-योग्यता मानदंडों की पूर्ति में कमी

पूर्व-योग्यता मानदंड	निविदा आमंत्रण सूचना में विशिष्टियाँ	लेखापरीक्षा टिप्पणी
वित्तीयः आईटी/ आईटीईएस क्षेत्र से टर्नओवर	प्रकाशित लेखापरीक्षित वित्तीय स्थिति विवरण के अनुसार, निविदाकर्ता का आईटी/आईटीईएस क्षेत्र से पिछले तीन वित्तीय वर्षों अर्थात् वर्ष 2018-19 से 2020-21 तक का औसत वार्षिक टर्नओवर कम से कम ₹ 25 करोड़ होना चाहिए ।	लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों के अनुसार, एक्सपेडियन ई सॉल्यूशंस लिमिटेड का टर्नओवर वर्ष 2018-19 में केवल ₹ 21.48 करोड़ और वर्ष 2019-20 में ₹ 22.41 करोड़ था। वर्ष 2020-21 का वित्तीय विवरण जो लेखापरीक्षित नहीं था, में ₹ 69.08 करोड़ का टर्नओवर दर्शाया गया । इसके अतिरिक्त, वित्तीय विवरणों में यह स्पष्ट नहीं किया गया कि औसत वार्षिक टर्नओवर विशेष रूप से आईटी/आईटीईएस क्षेत्र से प्राप्त हुआ था या फर्म की समग्र व्यावसायिक गतिविधियों से, क्योंकि निविदा दस्तावेज़ों में इस जानकारी का समर्थन करने के लिए कोई अनुसूचियाँ शामिल नहीं थीं ।
तकनीकी क्षमता	निविदाकर्ता को पिछले पाँच वर्षों के दौरान किसी भारतीय केंद्रीय/राज्य सरकार विश्वविद्यालय के लिए सॉफ़्टवेयर परिनियोजन, अनुकूलन, कार्यान्वयन तथा रखरखाव एवं	एक्सपेडियन ई सॉल्यूशंस लिमिटेड ने अपनी तकनीकी क्षमता प्रदर्शित करने के लिए 11 विश्वविद्यालयों (***परिशिष्ट 7.2***) द्वारा जारी किए गए कार्यादेश प्रस्तुत

पूर्व-योग्यता मानदंड	निविदा आमंत्रण सूचना में विशिष्टियाँ	लेखापरीक्षा टिप्पणी
	समर्थन से संबंधित कम से कम निम्नलिखित संस्था में समान परियोजनाओं को सफलतापूर्वक पूरा करना चाहिए: 1. दो परियोजनाएँ, प्रत्येक ₹ 10 करोड़ से कम नहीं; या 2. तीन परियोजनाएँ, प्रत्येक ₹ 5 करोड़ से कम नहीं; या 3. चार परियोजनाएँ, प्रत्येक ₹ 4 करोड़ से कम नहीं।	किए। हालांकि, लेखापरीक्षा में यह पाया गया कि ये सभी कार्यादेश मूल रूप से आईटीआई लिमिटेड को जारी किए गए थे और बाद में कार्य निष्पादन के लिए एक्सपेडियन ई सॉल्यूशंस लिमिटेड को उपानुबंध पर दिए गए थे। यह दर्शाता है कि एक्सपेडियन ई सॉल्यूशंस लिमिटेड द्वारा उद्धृत किसी भी मामले में वह प्राथमिक प्रदायक नहीं था।

विश्वविद्यालय ने जुलाई 2024 में अवगत कराया कि टर्नओवर प्रमाणपत्र निर्धारित प्रारूप में प्रदान किए गए थे और एक चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा प्रमाणित थे, जो उनके अनुसार निविदा की आवश्यकताओं को पूरा करते थे। इसके अतिरिक्त, निविदा मूल्यांकन समिति ने एक्सपेडियन ई सॉल्यूशंस लिमिटेड द्वारा प्रस्तुत कार्यादेशों को तकनीकी क्षमता के वैध प्रमाण के रूप में स्वीकार किया।

विश्वविद्यालय का प्रत्युत्तर स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि उपरोक्त **तालिका 7.3** में दर्शाए अनुसार एक्सपेडियन ई सॉल्यूशंस लिमिटेड का वर्ष 2018-19 और वर्ष 2019-20 के लिए लेखापरीक्षित टर्नओवर ₹ 25 करोड़ से कम था, और फर्म ने वर्ष 2020-21 के लिए जो वित्तीय विवरण प्रस्तुत किया वह लेखापरीक्षित नहीं था, जो निविदा आमंत्रण सूचना (एनआईटी) में उल्लिखित विशिष्टियों के अनुरूप नहीं था, जैसाकि उपरोक्त **तालिका 7.3** में दर्शाया गया है। इसके अतिरिक्त, समिति द्वारा किसी अन्य फर्म आईटीआई लिमिटेड को जारी किए गए कार्यादेशों को एक्सपेडियन ई सॉल्यूशंस लिमिटेड के वैध अनुभव के रूप में स्वीकार करना भी अनुचित था। परिणामस्वरूप, चयन प्रक्रिया में आवश्यक निष्पक्षता और पारदर्शिता का अभाव रहा।

(iv) निविदा की शर्तों के अनुसार, चयनित फर्म को अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के तुरंत बाद अनुमानित परियोजना लागत (₹ 16 करोड़) का 2.5 प्रतिशत (₹ 0.40 करोड़) की निष्पादन प्रत्याभूति जमा कराना आवश्यक था। हालांकि, चयनित फर्म ने प्रारंभ में 12 नवंबर 2021 को केवल ₹ 0.10 करोड़ की राशि बैंक गारंटी के रूप में जमा की। शेष ₹ 0.30 करोड़ की राशि काफी विलंब के बाद, लगभग 26 महीने बाद, 23 जनवरी 2024 को जमा की गई।

अपने प्रत्युत्तर (जुलाई 2024) में विश्वविद्यालय ने दावा किया कि चूंकि अनुबंध तीन वर्षों की अवधि के लिए था, इसलिए पहले वर्ष के संचालन के लिए ₹ 0.10 करोड़ की निष्पादन प्रत्याभूति ली गई थी। हालांकि, यह स्पष्टीकरण स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि निविदा की शर्तों में स्पष्ट रूप से अनुबंध पर हस्ताक्षर करते ही निष्पादन प्रत्याभूति जमा कराने की आवश्यकता थी। यह निविदा शर्तों का स्पष्ट उल्लंघन था और फर्म को अनुचित लाभ प्रदान करने के समान था।

(v) विश्वविद्यालय की निगरानी समिति ने 03 जुलाई 2023 को आयोजित अपनी बैठक में अनुबंध के तहत एक्सपेडियन ई सॉल्यूशंस लिमिटेड के प्रदर्शन पर असंतोष प्रकट किया। समिति ने निम्नलिखित मुख्य टिप्पणियाँ कीं:

- अनुबंधित 25 सेवाओं/मॉड्यूल में से 18 (72 प्रतिशत) सेवाएं फर्म द्वारा प्रदान नहीं की जा रही थीं।

- विभिन्न विभागों के प्रशासनिक प्रमुखों द्वारा की गई भौतिक जांच में यह पाया गया कि अनुबंध में निर्धारित 17 कर्मचारियों के स्थान पर केवल नौ कर्मचारी (53 प्रतिशत) ही नियुक्त किए गए थे।

- जुलाई 2022 से, एमबीएम विश्वविद्यालय[24] ने जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय से अलग होने के बाद यूएमएस के माध्यम से अपनी ऑनलाइन गतिविधियों का स्वतंत्र रूप से संचालन शुरू कर दिया। चूंकि एमबीएम विश्वविद्यालय का कुल कार्यभार में लगभग 33 प्रतिशत हिस्सा था, इसलिए जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय के लिए अनुबंध के तहत कार्य की मात्रा अनुपातिक रूप से घट गई। अतः मूल अनुबंध शर्तों के अनुसार पूर्ण भुगतान जारी रखना उचित नहीं माना गया।

विस्तृत विचार-विमर्श के बाद, समिति ने निम्नलिखित कार्रवाई की सिफारिश की:

- सेवा में कमियों को ध्यान में रखते हुए, अब तक फर्म को किए गए भुगतान का कम से कम 50 प्रतिशत राशि वसूल कर विश्वविद्यालय के बैंक खाते में जमा की जानी चाहिए।

- एमबीएम विश्वविद्यालय के अलग होने के बाद कार्य के घटे क्षेत्र को देखते हुए, फर्म को केवल तभी कार्य जारी रखने की अनुमति दी जाए जब वह शेष सेवाओं को मूल दरों के 40 प्रतिशत पर निष्पादित करने के लिए सहमत हो।

- विश्वविद्यालय को नए संस्थागत ढांचे के मद्देनज़र कार्य के दायरे का पुनर्मूल्यांकन और पुनर्भाषित करना चाहिए तथा यूएमएस की जिम्मेदारियों को सौंपने के लिए नई निविदाएं आमंत्रित करनी चाहिए।

हालांकि, लेखापरीक्षा ने पाया कि इन सिफारिशों में से किसी पर भी कार्यवाही नहीं की गई। इसके बजाय, विश्वविद्यालय ने फर्म के अनुबंध को मूल नियम एवं शर्तों पर जुलाई 2025 तक बढ़ा दिया। जनवरी 2025 तक फर्म को कुल ₹ 18.44 करोड़ का भुगतान किया गया।

जुलाई 2024 में विश्वविद्यालय ने दावा किया कि फर्म द्वारा कमियों को दूर कर दिया गया है, जिससे समय-समय पर किए गए भुगतानों को जारी रखना उचित ठहराया गया। हालांकि, विश्वविद्यालय का यह दावा तथ्यों द्वारा समर्थित नहीं था। विश्वविद्यालय की जनवरी 2025 में स्वयं की स्वीकारोक्ति के अनुसार, विकसित किए गए 25 यूएमएस मॉड्यूल में से केवल छह ही क्रियाशील थे, नौ आंशिक रूप से उपयोग में थे और 10 मॉड्यूल अप्रयुक्त रहे (***परिशिष्ट 7.3***)।

---

24 एमबीएम अभियांत्रिकी महाविद्यालय, जो पहले जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय के प्रशासनिक नियंत्रण में संचालित हो रहा था, को राजस्थान सरकार द्वारा सितंबर 2021 में अलग कर एक स्वतंत्र राज्य विश्वविद्यालय के रूप में स्थापित किया गया।

मई 2025 में विश्वविद्यालय ने आगे अवगत कराया कि मॉड्यूल्स का यथासंभव उपयोग करने के प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन यह भी स्वीकार किया कि प्रशिक्षित कर्मचारियों की कमी के कारण कुछ मॉड्यूल्स अप्रयुक्त रह गए।

हालांकि, 06 अक्टूबर 2021 को हस्ताक्षरित अनुबंध के अनुसार, एक्सपेडियन ई सॉल्यूशंस लिमिटेड की जिम्मेदारी थी कि वह विभिन्न उपयोगकर्ता क्षेत्रों में विश्वविद्यालय के कर्मचारियों को प्रशिक्षण प्रदान करे, साथ ही सभी आधिकारिक उपयोगकर्ताओं के लिए ऑन-डिमांड प्रशिक्षण भी उपलब्ध कराए। अनुबंध की शुरुआत से 43 महीने (अक्टूबर 2021 से मई 2025) व्यतीत हो जाने के बावजूद विश्वविद्यालय में प्रशिक्षित कार्मिकों की कमी बनी रहना चिंता का विषय है।

इस प्रकार, विश्वविद्यालय ने उस फर्म को अनुबंध प्रदान किया जो एनआईटी के पूर्व-योग्यता मानदंडों को पूरा नहीं करती थी। इसके अलावा, निगरानी समिति द्वारा भुगतान की वसूली और कार्य के दायरे को पुनर्भाषित करने की स्पष्ट सिफारिशों के बावजूद, विश्वविद्यालय ने अनुबंध को बढ़ाने से पहले न तो कोई सुधारात्मक कार्रवाई की और न ही प्रदर्शन का पुनर्मूल्यांकन किया, और अनुबंध की पूर्ण राशि अर्थात् ₹ 18.44 करोड़ का भुगतान कर दिया।

यह मामला जून 2024 में राज्य सरकार को प्रेषित किया गया था, जिसका उत्तर मई 2025 तक प्रतीक्षित था।

7.6 ₹ 1.85 करोड़ का निष्क्रिय निवेश

जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय (जेएनवीयू), जोधपुर में सेन्टर फॉर एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्माल बिज़नेस मैनेजमेंट हेतु निर्मित भवन ₹ 1.85 करोड़ के व्यय और छह वर्षों की देरी के उपरांत भी क्रियाशील नहीं हुआ। यह भवन अब भी आवश्यक सुविधाओं जैसे फर्नीचर, पुस्तकालय, कंप्यूटर तथा जल और विद्युत जैसी मूलभूत आवश्यकताओं से वंचित है।

लोक निर्माण वित्तीय एवं लेखा नियम (भाग-I) के नियम 298 के अनुसार, किसी कार्य की योजना और डिज़ाइन तैयार करने के लिए भूमि की उपलब्धता एक पूर्व-आवश्यकता है, और इसलिए सरकार का कोई भी विभाग तब तक योजना प्रारंभ नहीं कर सकता जब तक कि वह स्थल भौतिक रूप से उसके कब्जे में न हो।

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार ने जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर (विश्वविद्यालय) के परिसर में ₹ 3.15 करोड़[25] की अनुमानित लागत पर एक सेन्टर फॉर एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्माल बिज़नेस मैनेजमेंट (सीईएसबीएम) की स्थापना हेतु स्वीकृति (18 जनवरी 2017) प्रदान की। इसमें से, ₹ 1.50 करोड़ भारत सरकार द्वारा प्रदान किया

25 आधारभूत संरचनाः ₹ 1.86 करोड़; फर्नीचर, साज-सज्जा और उपकरणः ₹ 0.85 करोड़; पुस्तकालयः ₹ 0.17 करोड़; कंप्यूटरः ₹ 0.07 करोड़; और विविधः ₹ 0.20 करोड़।

जाना था, जबकि शेष ₹ 1.65 करोड़ विश्वविद्यालय द्वारा परियोजना खाते में योगदान किया जाना था।

मार्च 2018 में विश्वविद्यालय के भवन निर्माण प्रकोष्ठ ने ₹ 1.74 करोड़ की अनुमानित लागत पर सीईएसबीएम भवन के निर्माण के लिए निविदाएं आमंत्रित कीं। यह ठेका 28 मई 2018 को ₹ 1.67 करोड़ में दिया गया, जिसकी निर्धारित पूर्णता अवधि 12 महीने थी, जो 27 मई 2019 को समाप्त होनी थी। हालांकि, लेखापरीक्षा संवीक्षा में यह पाया गया कि स्थल की उपलब्धता सुनिश्चित किए बिना ठेका दिया गया था। संवेदक को स्थल 26 फरवरी 2019 को सौंपा गया, जो निर्धारित पूर्णता तिथि से मात्र तीन महीने पहले था। परिणामस्वरूप, विश्वविद्यालय को निर्माण की समय-सीमा पुनः निर्धारित करनी पड़ी, जिसमें नई कार्यारम्भ और पूर्णता तिथियां क्रमशः 02 मार्च 2019 और 01 मार्च 2020 तय की गईं।

समय-वृद्धि के बावजूद, निर्माण कार्य ₹ 1.85 करोड़ की लागत पर 30 अगस्त 2020 को पूर्ण हुआ, जो मूल समय-सीमा से 15 महीने और संशोधित समय-सीमा से छह महीने की देरी को दर्शाता है।

लेखापरीक्षा में यह भी पाया गया कि यद्यपि विश्वविद्यालय को परियोजना में ₹ 1.65 करोड़ का योगदान करना था, उसने मार्च 2017 में केवल ₹ 1.50 करोड़ का योगदान किया। इसमें से ₹ 1.25 करोड़, विश्वविद्यालय के सेवानिवृत्त कर्मचारियों की पेंशन देनदारियों को पूरा करने के लिए जून 2017 में विपथन कर दिए गए। परिणामस्वरूप, प्रमुख आधारभूत संरचना सुविधाएं यथा फर्नीचर, साज-सज्जा, पुस्तकालय संसाधन, कंप्यूटर और उपकरण क्रय नहीं की जा सकीं, जिससे भवन अगस्त 2020 में पूर्ण होने के बावजूद अप्रयुक्त रहा। विश्वविद्यालय ने जुलाई 2020 से नवंबर 2023 के बीच किश्तों में ₹ 1.30 करोड़ जमा किए, जिसमें से ₹ 0.96 करोड़ सितंबर 2022 में पुनः विश्वविद्यालय के प्रबंधन अध्ययन विभाग के उपयोग हेतु विपथन कर दिए गए।

विश्वविद्यालय ने जुलाई 2024 में अवगत कराया कि विपथन की गई राशि को परियोजना खाते में जमा कर दिया जाएगा और लंबित सुविधाओं के उपापन के बाद भवन को क्रियाशील बनाया जाएगा। हालांकि, मई 2025 तक सीईएसबीएम भवन ₹ 1.85 करोड़ के व्यय और मई 2019 की मूल निर्धारित पूर्णता तिथि से छह वर्ष बीत जाने के बावजूद अभी भी क्रियाशील नहीं हो पाया है।

भवन में अब भी आवश्यक सुविधाएं जैसे फर्नीचर, पुस्तकालय, कंप्यूटर, जल और विद्युत कनेक्शन उपलब्ध नहीं हैं, जिससे यह अपने निर्धारित उद्देश्य के लिए अनुपयोगी बना हुआ है।

यह प्रकरण जून 2024 में राज्य सरकार को प्रेषित किया गया था; मई 2025 तक उनका उत्तर प्रतीक्षित था।

स्वायत्त शासन विभाग

7.7 जेसीटीएसएल की अपारदर्शी एवं अनियमित कार्यप्रणाली के कारण अनुबंध का निरस्तीकरण

जेसीटीएसएल की अपारदर्शी एवं अनियमित कार्यप्रणाली के कारण एक प्रतिष्ठित आपूर्तिकर्ता से ई-बसों के उपापन के अनुबंध के निरस्तीकरण के परिणामस्वरूप भारत सरकार की निधियों का उपयोग नहीं हुआ तथा जयपुर शहर के आमजन को पर्यावरण अनुकूल बसों की सुविधा से वंचित रहना पड़ा।

भारी उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार ने अप्रैल 2019 में तीन वर्ष की अवधि हेतु "फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ (हाइब्रिड एवं) इलेक्ट्रिक व्हीकलस इन इंडिया (फेम इंडिया स्कीम)" के द्वितीय चरण का शुभारम्भ किया। इस योजना के अंतर्गत राज्य/शहरी परिवहन उपक्रमों से ई-बसों के परिचालन हेतु प्रस्ताव आमंत्रित किए गए (जून 2019)।

इसकी प्रतिक्रिया में, जयपुर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड (जेसीटीएसएल) ने जयपुर शहर के लिए 300 ई-बसों का प्रस्ताव प्रस्तुत किया (जून 2019)। भारत सरकार ने जयपुर शहर हेतु 100 ई-बसों के परिचालन की स्वीकृति प्रदान की (अगस्त 2019)। मंत्रालय द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार प्रचालक (निजी रियायतग्राही) का चयन खुली प्रतिस्पर्धात्मक निविदा के माध्यम से किया जाना था। जेसीटीएसएल द्वारा स्वीकृति आदेश जारी होने की तिथि से तीन माह के अंदर उपापन प्रक्रिया पूर्ण तथा आपूर्ति आदेश जारी किया जाना था तथा आपूर्ति आदेश जारी होने की तिथि के 12 माह के अंदर सभी बसों का संचालन शुरू किया जाना था।

जेसीटीएसएल ने जयपुर शहर हेतु 100 पूर्ण वातानुकूलित निर्मित शुद्ध इलेक्ट्रिक मिडी बसों की आपूर्ति सह-संचालन तथा रखरखाव के लिए निविदा आमंत्रण सूचना जारी (अक्टूबर 2019) की। बसों का संचालन चार डिपो से निर्धारित मार्गों पर किया जाना था। प्रचालक को प्रति बस प्रतिदिन 160 किलोमीटर का न्यूनतम परिचालन सुनिश्चित किया गया था। इसकी प्रतिक्रिया में, दो फर्मों[26] मैसर्स ईवी ट्रांस प्राइवेट लिमिटेड तथा मैसर्स टाटा मोटर्स लिमिटेड ने अपनी निविदाएं प्रस्तुत कीं तथा दोनों फर्म तकनीकी रूप से योग्य थी। तथापि, निविदाएं नवंबर 2019 में यह कारण बताते हुए रद्द कर दी गईं कि न्यूनतम निविदाकर्ता द्वारा दी गई दर उत्तर प्रदेश एवं गुजरात जैसे अन्य राज्यों में भुगतान की गई दरों से अधिक थी।

इसके पश्चात्, जेसीटीएसएल ने नवंबर 2019 में नई निविदा आमंत्रण सूचना जारी की, जिसमें प्रति बस प्रतिदिन न्यूनतम सुनिश्चित परिचालन दूरी 160 किलोमीटर से बढ़ाकर 200

26 मैसर्स ईवी ट्रांस प्राइवेट लिमिटेड द्वारा प्रति बस ₹ 85.95 प्रति किलोमीटर (जीएसटी के अलावा) की दर प्रस्तुत की गई और मैसर्स टाटा मोटर्स लिमिटेड ने प्रति बस ₹ 89.10 प्रति किलोमीटर (जीएसटी के अलावा) की दर प्रस्तुत की गई।

किलोमीटर कर दी गई तथा डिपो की संख्या चार से घटाकर तीन कर दी गई। तकनीकी एवं वित्तीय मूल्यांकन समिति की अनुशंसा पर, मैसर्स टाटा मोटर्स लिमिटेड को ₹ 66.50 प्रति किलोमीटर प्रति बस की न्यूनतम बोली पर चयनित किया गया तथा जेसीटीएसएल ने मैसर्स टाटा मोटर्स लिमिटेड को दिनांक 13.12.2019 को स्वीकृति-पत्र जारी किया।

स्वीकृति-पत्र जारी होने की तिथि (दिसम्बर 2019) से 30 दिनों के भीतर मैसर्स टाटा मोटर्स के साथ अनुबंध निष्पादित किया जाना था, किन्तु यह दिनांक 25.06.2020 को निष्पादित किया गया।

प्रस्ताव हेतु अनुरोध (आरएफपी) के अनुसार, प्रचालक स्वीकृति-पत्र जारी होने की तिथि से 90 दिनों के भीतर ई-बस का प्रोटोटाइप जेसीटीएसएल को अनुमोदन हेतु आपूर्ति करेगा। 13 मार्च 2020 तक की समय-सीमा के विरुद्ध, मैसर्स टाटा मोटर्स लिमिटेड ने ई- बस का प्रोटोटाइप सितंबर 2020 में आपूर्ति किया। जेसीटीएसएल की एक संयुक्त समिति द्वारा प्रोटोटाइप का निरीक्षण किया गया जिसने अक्टूबर 2020 में अपनी रिपोर्ट सौंपी। फर्म को जनवरी 2021 में ₹ 9.00 करोड़ का मोबिलाइजेशन अग्रिम भुगतान किया गया था। यह भुगतान भारत सरकार से मांग प्रोत्साहन की प्राप्त पहली किस्त ₹ 9.00 करोड़[27] से किया गया था।

दस्तावेजों की संवीक्षा के दौरान यह पाया गया किः

- जेसीटीएसएल ने प्रोटोटाइप का मूल्यांकन नई निविदा आमंत्रण सूचना (नवंबर 2019) में निर्दिष्ट तकनीकी विशिष्टताओं के अनुसार नहीं किया तथा सितंबर 2020 में प्रोटोटाइप प्राप्त होने के पश्चात्, उसमें कमियाँ बताते हुए ऐसे संशोधन सुझाए (अक्टूबर 2020) जो निविदा आमंत्रण सूचना में निहित नहीं थे। इनमें पिछले दरवाजे की गलत स्थिति, आगे के दरवाजे/निकास दरवाजे की कम ऊंचाई, पृथक ड्राइवर केबिन नहीं होना, परिचालक के लिए सीट नहीं होना, दिव्यांगों /वरिष्ठ नागरिकों के लिए हाइड्रोलिक रैंप का प्रावधान नहीं होना, बस में लगे अग्निशमन उपकरणों का आकर छोटा होना शामिल थे।

  यह देखा गया कि मैसर्स टाटा मोटर्स लिमिटेड ने जेसीटीएसएल के कुछ सुझावों को स्वीकार कर लिया (नवंबर 2020) और तदनुसार बस को संशोधित करने के लिए सहमत हो गया। हालाँकि, विवाद का मुख्य मुद्दा बस के पिछले दरवाजे की स्थिति थी। जेसीटीएसएल चाहता था कि यह बस के बीच में होने के बजाय पिछले पहियों के पीछे हो। मैसर्स टाटा मोटर्स लिमिटेड ने तर्क दिया कि ई-बस का प्रोटोटाइप निविदा आमंत्रण सूचना में अधिसूचित विशिष्टताओं के अनुसार बनाया गया था। इसके अलावा, फर्म को निविदा आमंत्रण सूचना में निर्धारित विशिष्टताओं के अनुसार प्रोटोटाइप प्रस्तुत करना आवश्यक था और निरीक्षण

27 रुचि की अभिव्यक्ति के अनुसार, भारत सरकार द्वारा जेसीटीएसएल को मांग-प्रोत्साहन का 20 प्रतिशत आपूर्ति आदेश जारी होने और जेसीटीएसएल द्वारा मैसर्स टाटा मोटर्स लिमिटेड के साथ समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद जारी किया जाएगा। कुल प्रोत्साहन राशि ₹ 45 करोड़ थी।

समिति द्वारा इन विशिष्टताओं के अनुसार निरीक्षण किया जाना था। अनुबंध जारी किए जाने के बाद जेसीटीएसएल द्वारा विशिष्टताएं बदलना अनियमित था।

- इसी बीच, जेसीटीएसएल ने स्पष्टीकरण के लिए मामला केंद्रीय सड़क परिवहन संस्थान (सीआईआरटी) को भेजा (अगस्त 2021) जो कि जेसीटीएसएल द्वारा प्रस्तावित बदलाव से सहमत नहीं हुआ (सितंबर 2021)। इस रिपोर्ट के आधार पर, जेसीटीएसएल निरीक्षण समिति ने 17 महीने[28] की देरी के बाद मार्च 2022 में प्रोटोटाइप अनुमोदित किया। फर्म को प्रोटोटाइप अनुमोदन की सूचना देने के बजाय प्रबंध निदेशक, जेसीटीएसएल ने मैसर्स टाटा मोटर्स लिमिटेड के साथ हस्ताक्षरित अनुबंध की नए सिरे से जांच करने और अनुबंध में उन सभी प्रावधानों को इंगित करने के लिए लिखित निर्देश जारी किए (अप्रैल 2022) जो कि जेसीटीएसएल के हित के विरुद्ध हैं। जेसीटीएसएल के मुख्य वित्त अधिकारी द्वारा अनुबंध में सात मुद्दों को इंगित करते हुए एक रिपोर्ट प्रस्तुत (अप्रैल 2022) की गई जिन पर मैसर्स टाटा मोटर्स लिमिटेड के साथ फिर से वार्ता की गई (मई 2022)। मैसर्स टाटा मोटर्स लिमिटेड की चार मुद्दों पर पूर्णतः या सशर्त सहमति[29] (जून/जुलाई 2022) थी और शेष मुद्दों[30], जहां संशोधन के लिए लागत में बदलाव की आवश्यकता थी अथवा अनुबंध के इस चरण में संभव नहीं थे, पर असहमति थी। लेखापरीक्षा ने पाया कि जेसीटीएसएल द्वारा उठाए गए मुद्दे अनुचित थे और यह अनुबंध के दायित्वों का सम्मान करने में इसकी विफलता को दर्शाता है क्योंकि ये मुद्दे मूल अनुबंध के उल्लंघन में थे।

- जेसीटीएसएल और फर्म के बीच मूल अनुबंध में संशोधन के लिए कई दौर की चर्चाओं और बैठकों के बाद, आखिरकार, दिसंबर 2022 में जेसीटीएसएल ने मार्गदर्शन के लिए राजस्थान सरकार को एक नोट भेजा, जिसमें कहा गया था कि मैसर्स टाटा मोटर्स लिमिटेड ने बस संरचना (पिछले दरवाजे की स्थिति) में परिवर्तन करने से इनकार कर दिया था और फर्म द्वारा प्रस्तुत प्रोटोटाइप का निरीक्षण तीसरे पक्ष (सीआईआरटी) द्वारा किया गया था, लेकिन इस तथ्य को छोड़ दिया गया कि सीआईआरटी ने प्रोटोटाइप को मंजूरी दे दी थी। दिसंबर 2022 से जून 2023 तक, जेसीटीएसएल और राजस्थान सरकार पत्राचार में लगे रहे, लेकिन ई-बसों की खरीद पर कोई निर्णय नहीं लिया गया।

---

28 सत्रह महीनेः 13.10.2020 (निरीक्षण की दिनांक) से 16.03.2022 (निरीक्षण समिति द्वारा प्रोटोटाइप का अनुमोदन) तक।

29 मैसर्स टाटा मोटर्स लिमिटेड को भुगतान के लिए समय सीमा 15 दिनों से बढ़ाकर दो महीने करने, बिजली शुल्क में बदलाव को छमाही से बढ़ाकर वार्षिक करने, फर्म द्वारा बिल जमा करने की समय सीमा को 15 दिनों से बढ़ाकर 30 दिन करने, ई-बसों की आपूर्ति के लिए समय सीमा का पालन करने। मैसर्स टाटा मोटर्स लिमिटेड ने पुनर्वार्ता बैठक की तारीख से 60 दिनों के भीतर जेसीटीएसएल द्वारा बस के प्रोटोटाइप के अनुमोदन की शर्त पर सहमति व्यक्त की।

30 प्रति बस प्रति किमी लागत से डेड माइलेज को बाहर करने के लिए अनुबंध में संशोधन करना और डेड माइलेज को फर्म द्वारा वहन करने की मांग, अनुबंध में निर्दिष्ट तीन डिपो में से एक का स्थान बदलने। तीन में से दो डिपो के बिजली कनेक्शन की लागत मैसर्स टाटा मोटर्स लिमिटेड द्वारा वहन की जाए। फर्म इन मुद्दों पर असहमत थी।

- चूंकि जेसीटीएसएल ने चार वर्ष बीतने के बाद तक फेम-II योजना के तहत स्वीकृत 100 ई-बसों के उपापन में कोई प्रगति नहीं की थी, इसलिए भारत सरकार ने जून 2023 में योजना को रद्द कर दिया। इसके अलावा, भारत सरकार ने जेसीटीएसएल को भारत सरकार द्वारा भुगतान किए गए ₹ 9.00 करोड़ ब्याज सहित लौटने के निर्देश दिए और भारत सरकार के निर्देशों के अनुसार ई-बसों की खरीद नहीं करने के कारणों को प्रस्तुत करने के भी निर्देश दिए। इसके बाद, अगस्त 2023 में, राजस्थान सरकार ने मैसर्स टाटा मोटर्स लिमिटेड के साथ इस सार्वजनिक-निजी भागीदारी अनुबंध को रद्द कर दिया।

इस प्रकार, जेसीटीएसएल की अपारदर्शी एवं अनियमित कार्यप्रणाली के कारण अनुबंध रद्द हुआ।

प्रत्युत्तर में प्रबंध निदेशक, जेसीटीएसएल ने उल्लेख किया (जुलाई 2024) कि जेसीटीएसएल ने मैसर्स टाटा मोटर्स लिमिटेड को 'अनुबंध के प्रावधान के अनुसार' दरवाजे की स्थिति को पिछले पहियों के पीछे बदलाव के संबंध में लिखा था, लेकिन मैसर्स टाटा मोटर्स लिमिटेड द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई। यह भी अवगत कराया कि मैसर्स टाटा मोटर्स लिमिटेड से ₹ 9 करोड़ की अग्रिम राशि बिना ब्याज के वसूल कर ली गई है तथा भारत सरकार को वापस (नवम्बर 2024) कर दी गई है। प्रत्युत्तर मान्य नहीं है, क्योंकि फर्म ने निविदा आमंत्रण सूचना में निर्धारित विशिष्टताओं के अनुसार प्रोटोटाइप प्रस्तुत किया था और दरवाजे की स्थिति बदलने के जेसीटीएसएल के प्रस्ताव को भी सीआईआरटी द्वारा स्वीकार नहीं किया गया था।

इस प्रकार, भारत सरकार से धनराशि प्राप्त होने के बावजूद भी, अनियमितता, पारदर्शी प्रक्रिया के अभाव और असंगत अनुबंध शर्तों की प्रविष्टि के कारण जेसीटीएसएल फेम-II योजना के तहत ई-बसों की उपापन प्रक्रिया को आगे बढ़ाने में असमर्थ रहा, जो अंततः प्रयोजित अवसर चूक जाने में परिणित हुआ।

यह मामला राज्य सरकार को दिसंबर 2024 में प्रेषित किया गया था, उनका प्रत्युत्तर अगस्त 2025 तक प्रतिक्षित रहा।

सैनिक कल्याण विभाग

7.8 अपर्याप्त नियोजन के परिणामस्वरूप वीरांगना छात्रावास एवं पुनर्वास केंद्र, जोधपुर का उपयोग न होना

व्यवहार्यता अध्ययन के अभाव के कारण ₹ 5.51 करोड़ की लागत से निर्मित वीरांगना छात्रावास एवं पुनर्वास केंद्र, जोधपुर पांच वर्ष से अधिक समय व्यतीत हो जाने के बाद भी अप्रयुक्त रहा।

सैनिक कल्याण विभाग (एसकेवी), राजस्थान सरकार द्वारा युद्ध वीरांगनाओं को पुनर्वास सुविधाएं तथा उनको तकनीकी कौशल सुधार प्रशिक्षण प्रदान करने एवं आश्रित बच्चों को शैक्षणिक शिक्षा

उपलब्ध कराकर आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से चार[31] वीरांगना छात्रावास एवं पुनर्वास केंद्र (वीएचआरसी)[32] स्थापित किए गए। लेखापरीक्षा में जोधपुर स्थित वीएचआरसी और आवासीय फ्लैटों[33] का उपयोग न होना पाया गया, जैसा कि नीचे चर्चा की गई है:

वर्ष 2012-13 की बजट घोषणा की अनुपालना में, राजस्थान सरकार ने जोधपुर में वीएचआरसी के निर्माण हेतु ₹ 6.45 करोड़ का प्रावधान किया। इस प्रावधान के विरुद्ध, राजस्थान सरकार ने कार्य पर व्यय हेतु ₹ 1.50 करोड़ की स्वीकृति जारी की (जून 2012)। इसके बाद, मई 2013 में ₹ 4.95 करोड़ की अतिरिक्त स्वीकृति जारी की गई। कार्य सार्वजनिक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) द्वारा निष्पादित किया जाना था।

निदेशक, सैनिक कल्याण विभाग के अभिलेखों की संवीक्षा (अप्रैल 2022 और अगस्त 2024) में पाया कि जिला सैनिक कल्याण अधिकारी (जेडएसकेए), जोधपुर ने निदेशक, कल्याण विभाग के निर्देशों पर, वीएचआरसी के निर्माण हेतु जोधपुर विकास प्राधिकरण (जेडीए), तत्कालीन नगर सुधार न्यास, जोधपुर को भूमि आवंटन हेतु एक प्रस्ताव भेजा (फरवरी 2006) था। पाँच वर्षों के बाद, जेडीए, जोधपुर ने इस उद्देश्य के लिए 2,000 वर्ग मीटर भूमि आवंटित (अप्रैल 2011) की।

आवासीय फ्लैटों की दूसरी मंजिल के निर्माण के दौरान वायु सेना स्टेशन, जोधपुर द्वारा जिला सैनिक कल्याण अधिकारी, जोधपुर को रक्षा मंत्रालय (एमओडी) से अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) प्राप्त करने के लिए निर्देश देते हुए कार्य रूकवा दिया गया था (दिसंबर 2013) क्योंकि यह स्थान वायु सेना स्टेशन के निकट था। इसके बाद, जिला सैनिक कल्याण अधिकारी, जोधपुर ने एनओसी के लिए आवेदन किया (अक्टूबर 2014) और तत्पश्चात रक्षा मंत्रालय ने भवन निर्माण के लिए एनओसी जारी कर दिया (मार्च 2015)।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि ना तो सैनिक कल्याण विभाग और ना ही पीडब्ल्यूडी को एनओसी प्राप्त करने की आवश्यकता के बारे में पता था और नोटिस मिलने के बाद ही एनओसी के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया शुरू की गई थी। एनओसी प्राप्त होने के बावजूद, पानी की पाइपलाइन कनेक्शन और फर्नीचर से संबंधित कार्य में विलम्ब होने के कारण कार्य चार साल बाद मार्च 2019 में पूर्ण हुआ। निर्माण कार्य पर ₹ 5.51 करोड़ का व्यय हुआ। जिला सैनिक कल्याण अधिकारी, जोधपुर ने कुछ कमियों[34] के कारण पीडब्ल्यूडी से भवन का अधिग्रहण नहीं किया था, परन्तु जिला मजिस्ट्रेट (डीएम), जोधपुर के मौखिक निर्देश के परिणामस्वरूप जिला सैनिक कल्याण अधिकारी, जोधपुर ने सितंबर 2019 में भवनों का अधिग्रहण कर लिया।

---

31 चार वीएचआरसी सितंबर 2005 से सितंबर 2019 के दौरान स्थापित किए गए: (i) जयपुर – 17 सितंबर 2005; (ii) झुंझुनू – 16 सितंबर 2010; (iii) सीकर – प्रथम चरण: 21 अक्टूबर 2011 एवं द्वितीय चरण: 28 अक्टूबर 2016 तथा (iv) जोधपुर – 07 सितंबर 2019।

32 वीरांगना छात्रावास और आवासीय फ्लैट वीएचआरसी के घटक हैं।

33 छात्रावास उन वीरांगनाओं के बच्चों के लिए हैं जिनकी आयु 18 वर्ष से अधिक है, जबकि आवासीय फ्लैट उन वीरांगनाओं के लिए हैं जो अकेली रहती हैं या अपने बच्चों के साथ रहती हैं।

34 बारिश के पानी की निकासी के लिए पाइप, खिड़कियों के हैंडल टूटे हुए होना, बाथरूम में लाइट न लगना, प्लास्टर टूटना, दीवारों में दरारें, शौचालयों में ट्यूब लाइट/बल्ब/एग्जास्ट पंखा नहीं लगे होना, खिड़कियों व कमरों पर पेलमेट न लगना आदि।

यह भी पाया गया कि छात्रावास और पुनर्वास केंद्र दूरस्थ और एकांत स्थान पर स्थित है, जो रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड से क्रमशः 12 और 15 किलोमीटर दूरी पर तथा मुख्य सड़क से छात्रावास और पुनर्वास केंद्र तक 1.5 किलोमीटर के लिए कोई सार्वजनिक परिवहन उपलब्ध नहीं है।

सुविधाओं का उपयोग करने की दृष्टि से समस्त जिला सैनिक कल्याण अधिकारियों के साथ-साथ संभावित लाभार्थियों को व्यक्तिगत पत्र लिखे जाने थे। साथ ही सैनिक रैलियों, पर्चों और समाचार पत्रों के माध्यम से भी जानकारी प्रसारित की जानी थी। सैनिक कल्याण विभाग ने जनवरी, मार्च और जून 2020 में समस्त जिला सैनिक कल्याण अधिकारियों को प्रचारित करने एवं इच्छित लाभार्थियों को प्रोत्साहित करने के लिए लिखा। हालाँकि, किसी भी पात्र वीरांगना अथवा शहीदों के आश्रितों या भूतपूर्व सैनिकों ने फ्लैट अथवा छात्रावास सुविधाओं के लिए आवेदन करने में रुचि नहीं दिखाई। जोधपुर में वीएचआरसी की वास्तविक आवश्यकता का आंकलन करने के लिए कोई व्यवहार्यता अध्ययन किए बिना ही वीएचआरसी का निर्माण कार्य किया गया। इसके अलावा, छात्रावास के निर्माण-स्थल के संबंध में किसी भी व्यवहार्यता अध्ययन के समर्थन में कोई अभिलेख नहीं पाया गया। परिणामस्वरूप, जिला सैनिक कल्याण अधिकारी, जोधपुर ने निर्मित भवन के वैकल्पिक उपयोग की संभावनाओं का पता लगाने हेतु सैनिक कल्याण विभाग को सिफारिश की (दिसंबर 2021) तथा मौजूदा बुनियादी ढांचे को समाज कल्याण विभाग जैसे किसी सरकारी विभाग को सौंपने अथवा भूतपूर्व सैनिकों, वीरांगनाओं एवं उनके आश्रितों को कौशल विकास और शैक्षणिक प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए एक प्रस्ताव (दिसंबर 2021 और दिसंबर 2022) भेजा। यह दर्शाता है कि निर्मित संपत्ति के वैकल्पिक उपयोग के लिए कोई विशिष्ट योजना नहीं थी।

लेखापरीक्षा द्वारा जिला सैनिक कल्याण अधिकारी के साथ किए गए संयुक्त भौतिक सत्यापन (अप्रैल 2023) से प्रकट हुआ कि भवन के हस्तांतरण के बाद से छात्रावास और पुनर्वास केंद्र अप्रयुक्त पड़ा हुआ था और विद्युत कनेक्शन अस्थायी रूप से काट दिया गया था जैसा कि नीचे दर्शाया गया है:

पुनर्वास केंद्र, जोधपुर में अप्रयुक्त भवन और सुविधाओं को दर्शाती तस्वीरें

राज्य सरकार ने अवगत कराया (जनवरी 2025) कि भूमि आवंटन के लिए सैनिक कल्याण विभाग से कोई सहमति प्राप्त नहीं की थी। पर्याप्त प्रचार और प्रयासों के बावजूद, क्षेत्र की विशिष्ट सामाजिक पृष्ठभूमि और रीति-रिवाजों के कारण कोई आवेदन प्राप्त नहीं हुआ। आगे अवगत कराया गया कि अप्रयुक्त भवनों के वैकल्पिक उपयोग का प्रस्ताव राज्य सरकार के स्तर पर

विचाराधीन है और पुनर्वास केंद्र की मरम्मत कार्य के लिए ₹ 0.59 करोड़ स्वीकृत किए जा चुके हैं।

विभाग के प्रत्युत्तर से यह स्पष्ट होता है कि छात्रावास और पुनर्वास केंद्र के निर्माण-स्थल का निर्धारण करने में सैनिक कल्याण विभाग और स्थानीय प्रशासन के मध्य कोई समन्वय नहीं था। इसके अतिरिक्त, संबंधित अधिकारियों द्वारा एकांत स्थान पर भूमि का आवंटन युद्ध-वीरांगनाओं के प्रति असंवेदनशीलता को दर्शाता है। यह भी स्पष्ट होता है कि प्राथमिक उद्देश्य की पूर्ति न होने के साथ ही दीर्घ अवधि तक उपयोग ना होने के कारण अप्रयुक्त भवनों की मरम्मत पर ₹ 0.59 करोड़ का परिहार्य भार उत्पन्न हुआ। अप्रयुक्त भवन के वैकल्पिक उपयोग के प्रस्ताव के संबंध में यह पाया गया कि प्रस्ताव दिसंबर 2022 में राज्य सरकार को भेजा गया था, परन्तु दो वर्ष से अधिक समय व्यतीत हो जाने के बाद भी कोई निर्णय नहीं लिया गया।

कोई व्यवहार्यता अध्ययन न किए जाने और वांछित उद्देश्य के अनुरूप निर्माण-स्थल का चयन नहीं होने के परिणामस्वरूप, निर्माण होने के पाँच वर्ष से अधिक समय व्यतीत होने के उपरांत भी वीएचआरसी जोधपुर अप्रयुक्त रहा। इसके अलावा, दो वर्ष पूर्व प्रस्ताव प्रस्तुत करने के बावजूद, सरकार ने संपत्ति का कोई वैकल्पिक उपयोग नहीं किया।

जयपुर,
20 जनवरी 2026

(सतीश कुमार गर्ग)
प्रधान महालेखाकार
(लेखापरीक्षा-I), राजस्थान

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली,
27 जनवरी 2026

(के. संजय मूर्ति)
भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक